

अध्याय-III

अनुपालना लेखापरीक्षा

अध्याय-III
अनुपालना लेखापरीक्षा

मत्स्य पालन विभाग

3.1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अनुदान का अधिक भुगतान

लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध करवाने में स्कीम के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.24 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य में मत्स्य पालन के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के दिशा-निर्देश मत्स्य तालाबों/जलाशयों के निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी, विपणन अवसंरचना, मोबाइल परिवहन/ रेफ्रीजरेटिड बैनों, कोल्ड स्टोरेज तथा आइस प्लांटों की खरीद के लिए प्रावधान करते हैं। स्कीम के अंतर्गत मछुआरों को बैकयार्ड मत्स्य पालन इकाई के निर्माण हेतु सहायता और गिल जालों पर लागत की 25 प्रतिशत की दर पर उपदान स्वीकार्य था।

राज्य सरकार ने 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 जिलों में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के संबंध में ₹ 1.71 करोड़ लागत की 119 बैकयार्ड मत्स्य इकाइयोंके निर्माण और ₹ 20.80 लाख लागत के 520 गिल जालों के वितरण का अनुमोदन किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुदान दावा लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित नहीं किया गया था और इसके स्थान पर लाभार्थियों को बैकयार्ड मत्स्य पालन इकाई तथा गिल जाल हेतु 50 एवं 75 प्रतिशत की दर पर अनुदान का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.24 लाख के लाभों का अधिक भुगतान हुआ। यह 25 प्रतिशत से अधिक का अनुदान मापदंडों से विचलन हेतु अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना निधियों (केन्द्रीय निधियां) से दिया गया था।

निदेशक-सह-वार्डन मत्स्य पालन ने बताया (मई 2016) कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत समस्त परियोजना प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु शीर्षस्थ समिति है, द्वारा अनुमोदन दिया गया था और भारत सरकार के प्रतिनिधि भी राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति के सदस्य हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा-निर्देश अनुबद्ध करते हैं कि राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दिशा-निर्देशों के साथ परियोजना प्रस्तावों की अनुरूपता सुनिश्चित करने हेतु परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी। तत्पश्चात राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति प्रस्तावों पर विचार तथा अनुमोदित करती है। 23 अगस्त 2014 को सम्पन्न हुई राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति की बैठक, जिसमें इन प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था, के कार्यवृत्त यह इंगित नहीं करते कि वे राष्ट्रीय कृषि विकास के दिशा-निर्देशों के विचलन में हुए थे।

अतः लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध करवाने में स्कीम के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.24 लाख का अधिक भुगतान हुआ जिससे उस सीमा तक अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता था।

मामला मई 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

वन विभाग

3.2 हिमाचल प्रदेश में वन भूमि का अतिक्रमण

सीमांकन हेतु लक्षित 20.63 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रति 28 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी 11.04 लाख हेक्टेयर (54 प्रतिशत) का सीमांकन नहीं किया गया था। मार्च 2016 तक राज्य में 43,086 मामलों में 9,545 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ था। मार्च 2016 तक राजस्व तथा वन न्यायालयों में 3,572 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण के कुल 15,409 मामले लंबित थे। खाली किए गए वन क्षेत्रों की घेराबंदी का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका था और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप घेराबंदी की लागत के प्रति ₹ 46.76 लाख अतिक्रमणकारियों से वसूल नहीं किए गए थे।

3.2.1 परिचय

वन विभाग राज्य में वन प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु उत्तरदायी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रधान सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वन विभाग का मुखिया होता है और प्रादेशिक मंडलों में अरण्यपालों तथा वन मंडल अधिकारियों की सहायता से वनों की सुरक्षा तथा प्रबंधन व वन संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन करता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसर एवं भूमि (बेदखली एवं किराया वसूली) अधिनियम, 1971 विभाग को वन भूमि के अतिक्रमण को रोकने का अधिकार देता है।

2013-16 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में वन भूमि के अतिक्रमण से संबंधित लेखापरीक्षा नोडल अधिकारी प्रमुख अरण्यपाल (वन सुरक्षा तथा अग्नि नियंत्रण) बिलासपुर, प्रमुख अरण्यपाल (क्रियाशील योजना एवं निपटारा) मंडी और चार¹ वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से संचालित (मई-जून 2016) की गई थी।

3.2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 व्यक्ति को किसी आरक्षित वन भूमि में कृषि अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु खाली अथवा तोड़-फोड़ करने से रोकती है। भारतीय वन अधिनियम की धारा 35 प्रावधान करती है कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी वन अथवा बंजर भूमि में कृषि हेतु भूमि में तोड़-फोड़ अथवा खाली करने को विनियमित अथवा निषेध कर सकती है।

वन विभाग के स्वामित्व वाले 35.91 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में से मार्च 2016 तक 43,086 मामलों में ₹ 640 करोड़² मूल्य के 9,545 हेक्टेयर वन क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ था। इसमें से मार्च 2016 तक विभाग द्वारा 18,854 मामलों से अंतर्गत ₹ 263 करोड़ मूल्य का 3,921 हेक्टेयर क्षेत्र खाली करवा लिया गया था जबकि 24,232 मामलों से अंतर्गत ₹ 377 करोड़ मूल्य का 5,624 हेक्टेयर वन क्षेत्र अब भी अतिक्रमणकारियों के कब्जे में था (मार्च 2016)।

¹ आनी, चौपाल, कुल्लू तथा रोहदू।

² अधिकतम अतिक्रमण क्षेत्रों वाले क्षेत्र (जिला शिमला में रोहदू तहसील) पर लागू न्यूनतम सर्किल दर पर की गई गणना।

3.2.2.1 वन भूमि का सीमांकन

राज्य सरकार ने फरवरी 1952 की अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश में समस्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि घोषित किया था। वन नियमावली³ के अनुसार विभाग द्वारा असीमांकित तथा बंदोबस्त नहीं किए अधिसूचित वनों का सर्वेक्षण, बंदोबस्त एवं सीमांकन प्राथिमिकता आधार पर किया जाना था ताकि वन भूमि के अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जे को रोका जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया:

- 12 जिलों में सीमांकन हेतु लक्षित 20.63 लाख हेक्टेयर वन भूमि के प्रति मात्र 9.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का सीमांकन किया गया था और 28 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी 11.04 लाख हेक्टेयर (54 प्रतिशत) वन क्षेत्र का सीमांकन नहीं हुआ था। विभाग ने बताया (मई 2016) कि स्टाफ की कमी के कारण सीमांकन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था।
- विभाग ने 1994-2016 के दौरान 6,983 मामलों से अंतर्गत 8.37 लाख हेक्टेयर असंरक्षित वन भूमि को अधिसूचना तथा नाम-परिवर्तन हेतु चिह्नित किया था। इसमें से 5,293 मामलों में 7.16 लाख हेक्टेयर असंरक्षित वन भूमि अधिसूचित की गई थी और 1,690 मामलों में शेष 1.21 लाख हेक्टेयर असंरक्षित वन भूमि मार्च 2016 तक अधिसूचना हेतु लंबित थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान संरक्षित वनों के रूप में घोषित 7.16 लाख हेक्टेयर भूमि में से जून 2016 तक 0.49 लाख हेक्टेयर भूमि (270 मामले) के मामले में नाम-परिवर्तन नहीं किया गया था। असीमांकित/ गैर-श्रेणीबद्ध वनों को संरक्षित वनों के रूप में घोषित/अधिसूचित करने में विलंब, वन भूमि के अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जे के जोखिम से भरा था।

3.2.2.2 आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण

भारतीय वन अधिनियम की धारा 26(1) आरक्षित वन क्षेत्र में कृषि अथवा किसी अन्य उद्देश्य हेतु भूमि को खाली करने अथवा तोड़-फोड़ करने सहित समस्त प्रकार की गतिविधियों का, जब तक संस्वीकृति नहीं दी जाती, निषेध करती है। यह पाया गया था कि मार्च 2016 तक दोषियों (871 मामले) द्वारा 222 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि से युक्त क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया था। तथापि, मार्च 2016 तक 83 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि से अंतर्गत मात्र 233 मामलों में क्षति प्रतिवेदन जारी किए गए थे।

3.2.2.3 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध प्राथमिकियों का पंजीकरण

राज्य सरकार के निर्देशों (मई 2011) के अनुसार उन व्यक्तियों जिन्होंने वन भूमि के 10 बीघा से अधिक का अतिक्रमण किया था, के विरुद्ध प्राथमिकियों के पंजीकरण तथा चालान जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक विशेष टास्क फोस⁴ का गठन किया जाना था। तथापि, माननीय उच्च न्यायालय ने फरवरी 2016 में आदेश दिया कि अतिक्रमण के समस्त मामलों में आदेश की तिथि से आठ हफ्तों के भीतर प्राथमिकियों का पंजीकरण किया जाना चाहिए।

नमूना-जांच किए गए मंडलों में यह पाया गया कि जून 2016 तक 793 हेक्टेयर माप वाली 10 बीघा भूमि से कम के अतिक्रमण से अंतर्गत 3,872 मामलों में प्राथमिकियों का पंजीकरण नहीं किया गया था। विभाग ने प्राथमिकियों का पंजीकरण नहीं होने का कारण यह बताया (मई-जून 2016) कि स्टाफ अतिक्रमणों को हटाने की प्रक्रिया में व्यस्त था।

³ हिमाचल प्रदेश वन नियमावली (खण्ड-I) के अध्याय-I का परिच्छेद 6.15।

⁴ वन, पुलिस तथा राजस्व विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों से युक्त।

3.2.2.4 अतिक्रमित वन भूमि को खाली करवाना

वन भूमि पर कोई भी अतिक्रमण अविलंब हटाया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य हेतु वन मंडल अधिकारियों को समाहर्ता की शक्तियां सौंपी गई थीं (जून 1994)। अतिक्रमण हटाने के मामलों को राजस्व न्यायालयों के साथ-साथ वन मंडल अधिकारी-सह-समाहर्ता के न्यायालयों द्वारा विनिश्चित किया गया था। 2013-16 के दौरान अतिक्रमण मामलों तथा अतिक्रमण हटाने की स्थिति नीचे तालिका-3.2.1 एवं 3.2.2 में दी गई है।

तालिका-3.2.1: 2013-16 के दौरान वन मंडल अधिकारी-सह-समाहर्ता के न्यायालयों में दायर किए गए अतिक्रमण मामलों की स्थिति

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

वर्ष	चालान किए गए मामले		अतिक्रमण हटाने हेतु पारित आदेश		हटाए गए अतिक्रमण	
	मामलों की संख्या	क्षेत्र	मामलों की संख्या	क्षेत्र	मामलों की संख्या	क्षेत्र
2013-14	8,819	1,838	6,604 (75)	1,358 (74)	3,507 (53)	728 (54)
2014-15	9,069	2,017	7,064 (78)	1,486 (74)	3,386 (48)	815 (55)
2015-16	11,243	2,966	8,310 (74)	2,005 (68)	5,075 (61)	1,160 (58)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दी गई संख्या प्रतिशतता दर्शाती है।

तालिका-3.2.2: 2013-16 के दौरान राजस्व न्यायालय में दायर किए गए अतिक्रमण मामलों की स्थिति

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

वर्ष	चालान किए गए मामले		अतिक्रमण हटाने हेतु पारित आदेश		हटाए गए अतिक्रमण	
	मामलों की संख्या	क्षेत्र	मामलों की संख्या	क्षेत्र	मामलों की संख्या	क्षेत्र
2013-14	3,960	514	1,092 (28)	88 (17)	769 (70)	71 (81)
2014-15	4,077	549	1,220 (30)	110 (20)	793 (65)	74 (67)
2015-16	4,166	606	1,225 (29)	111 (18)	793 (65)	74 (67)

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दी गई संख्या प्रतिशतता दर्शाती है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि विभाग वन भूमि के अतिक्रमण/कब्जे को खाली करवाने में असफल रहे हैं क्योंकि 2013-16 के दौरान अतिक्रमण हटाने की प्रतिशतता 48 से 81 के मध्य रही। अतिक्रमित भूमि के सीमांकन/ स्पॉट सत्यापन हेतु राजस्व तथा वन विभागों के मध्य ताल-मेल की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने में विलंब हुआ।

3.2.2.5 अतिक्रमित वन भूमि को खाली करवाने में विलंब

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक परिसरों एवं भूमि (बेदखली एवं किराया वसूली) अधिनियम, 1971 की धारा 5(2) अनुबद्ध करती है कि यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर इसकी अनुपालना करने से इंकार करता है अथवा इसकी अनुपालना करने में असमर्थ रहता है, तब समाहर्ता अथवा उसके द्वारा इस संदर्भ में यथोचित प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सार्वजनिक परिसरों से उस व्यक्ति को हटा सकता है तथा उनको अपने अधिकार में ले सकता है और उस उद्देश्य हेतु आवश्यक शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

नमूना-जांच किए गए मंडलों (आनी, चौपाल, कुल्लू तथा रोहडू) में अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1994-2016 के वर्षों के दौरान 1,053 हेक्टेयर क्षेत्र से अंतर्गत 2,178 मामलों में अतिक्रमण हटाए जाने हेतु पारित आदेशों के प्रति एक से 21 वर्षों के मध्य के विलंब सहित 334 हेक्टेयर क्षेत्र से अंतर्गत मात्र 810 मामलों में भूमि को अतिक्रमणकारियों से खाली करवाया गया था। 719 हेक्टेयर क्षेत्र से अंतर्गत शेष 1,368 मामलों में कार्रवाई अभी की जानी थी (जून 2016)। इसके अतिरिक्त 1994-2013 की अवधि के दौरान 934 हेक्टेयर अतिक्रमित क्षेत्र से अंतर्गत 2,773 मामले अतिक्रमण हटवाने के आदेशों के न होने के कारण संबंधित न्यायालयों में लंबित थे।

विभाग ने बताया (मई तथा जून 2016) कि अतिक्रमित वन भूमि को खाली करवाने में विलंब फील्ड/ राजस्व स्टाफ की कमी और राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन/ सीमांकन नहीं किये जाने के कारण था।

3.2.2.6 बेदखल/ हटाने तथा बाड़ लगाने की लागत की वसूली

माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन समस्त मामलों में जहाँ अतिक्रमणों को हटा दिया गया है अथवा हटाया जाना शेष है, अतिक्रमणकारियों से कांटेदार तार से भूमि पर बाड़ लगाने के व्यय सहित बेदखल/हटाने की लागत की वसूली का निर्देश दिया था (अप्रैल 2015)। नमूना-जांच किए गए मंडलों में पाया गया कि 2013-16 के दौरान, विभाग द्वारा अतिक्रमित भूमि के 334 हेक्टेयर (नमूना-जांच किए गए मंडल के 810 मामलों से अंतर्गत) को अधिकृत किया गया था लेकिन न तो खाली किए गए क्षेत्र पर बाड़ लगाई गई थी, न ही अतिक्रमणकारियों से बाड़ लगाने की ₹ 46.76 लाख (334 हेक्टेयर × ₹ 0.14 लाख)⁵ लागत की वसूली ही की गई थी।

वन मंडल अधिकारी, कुल्लू ने बताया (मई 2016) कि समस्त संबंधित को अतिक्रमणों की बेदखल/हटाने की लागत का भुगतान करने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह माननीय न्यायालय के आदेशों को लागू करने के प्रति विभाग का उदासीन रवैया इंगित करता है।

3.2.3 निष्कर्ष

यह स्पष्ट था कि विभाग वन अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं था जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक राज्य में 43,086 मामलों से अंतर्गत 9,545 हेक्टेयर वन भूमि का अतिक्रमण हुआ। लक्षित वन क्षेत्र का 28 वर्ष से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी सीमांकन नहीं हुआ था जिससे निरंतर अतिक्रमण का मौका प्राप्त हुआ और असीमांकित वन/बंजर भूमि को संरक्षित वनों के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने के कार्य को प्राथमिकता नहीं दी गई थी। खाली करवाए गए वन क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य नहीं किया गया था तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसकी लागत की वसूली भी नहीं की गई थी। विभाग ने स्थिति से निपटने हेतु की जा रही कार्रवाई को इंगित किए बिना बहुत सी कमियों का कारण फील्ड एवं राजस्व स्टाफ की कमी बताया था।

लेखापरीक्षा परिणाम अगस्त 2016 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

उच्च शिक्षा विभाग

3.3 छात्रवृत्तियों के संवितरण में अनियमितताएं

कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र के परिणामस्वरूप गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को ₹ 9.59 करोड़ की छात्रवृत्तियों का अनियमित संवितरण हुआ।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम, मान्यता प्राप्त संस्थानों में पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। स्कीम के दिशा-निर्देशोंमें प्रावधान है कि मान्यता प्राप्त संस्थानों में मात्र मान्यता प्राप्त पोस्ट मैट्रिकुलेशन/ पोस्ट सेकंडरी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने हेतु छात्रवृत्तियांदी जायेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया था (जून 2013) कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय को ऑफ-कैंपस अध्ययन केंद्रों की स्थापना की अनुमति नहीं दी गई है और गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से अर्जित की गई पात्रताओं को मान्यता नहीं दी जाएगी। आगे कहा गया (अगस्त 2013) कि राज्य विश्वविद्यालयों/ डीम्ड विश्वविद्यालयों को उनके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के बाहर दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने की स्वीकृति नहीं है तथा निजी अध्ययन केन्द्रों फ्रेंचाइजिंग का परिचालन अनुमत्य नहीं है।

⁵ लागत की गणना वर्ष 2015-16 के दौरान नवीन वृक्षारोपण के मामले में विभाग द्वारा निश्चित किए गए मापदंडों के आधार पर की गई है।

डाटा की संबोधा में पाया गया कि निदेशक, उच्च शिक्षा ने 2014-15 के दौरान 2,588 विद्यार्थियों, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों⁶ के अंतर्गत पांच संस्थानों⁷ जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया था, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम हेतु पात्र मानदंड की पूर्ति नहीं करते थे, को छात्रवृत्तियों के रूप में ₹ 9.59 करोड़ का भुगतान किया था। स्पष्टतः निदेशक, उच्च शिक्षा, छात्रवृत्तियों की स्वीकृति तथा अवमुक्ति से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नीति के अनुसार संस्थानों की प्रास्थिति का सत्यापन करने में विफल रहा।

विभाग ने बताया (जून 2016) कि मामले को पुर्णसत्यापन हेतु सम्बंधित संस्थानों तथा बैंकों के समक्ष उठाया जाएगा और दो संस्थानों⁸ ने डुप्लीकेट भुगतानों की राशि लौटा दी है (जून 2016)।

मामला सितंबर 2016 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

गृह विभाग

3.4 "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा का अनुवर्तन

सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कार्यान्वयन की सीमा आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई सिफारिशों हेतु 50 प्रतिशत और कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों हेतु 50 प्रतिशत थी (जुलाई 2016), जबकि कोई भी सिफारिश पूर्णतः कार्यान्वित नहीं की गई थी।

3.4.1 परिचय

2004-09 की अवधि को कवर करती "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" की निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)-हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रतिवेदित की गई थी। प्रतिवेदन 13 अप्रैल 2010 को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा में 24 प्रेक्षण तथा विभाग द्वारा की जाने वाली उपचारात्मक कार्रवाई हेतु आठ सिफारिशों सम्मिलित थीं। लोक लेखा समिति द्वारा जून 2016 तक निष्पादन लेखापरीक्षा पर चर्चा नहीं की गई है। राज्य सरकार से एकशन टेकन नोट जुलाई 2011 में प्राप्त हुआ था।

पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा की सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रति प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य के साथ-साथ विविध मुद्दों पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की 2011-16 की अवधि को कवर करती अनुवर्ती लेखापरीक्षा अप्रैल से जून 2016 के दौरान पुलिस महानिदेशक, चार जिलों⁹ (12 में से) के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों, समस्त विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं¹⁰ तथा चयनित जिलों के 13 (56 में से) पुलिस स्टेशनों¹¹ में सम्बंधित अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा संचालित की गई थी।

3.4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

सरकार द्वारा स्वीकृत आठ लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति तीन श्रेणियों में रखी गई है जैसाकि नीचे दिया गया है:

⁶ कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मैसूर (ए०एस०ए०एम०एस०, फतेहपुर, कौशल विकास सोसायटी ऊना और कौशल विकास सोसायटी चम्बा), लवली औफेसनल यूनिवर्सिटी जालंधर (ए०एस०ए०एस० नाहन) और आई०के० गुजराल पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कपूरथला(आई०टी०एफ०टी० समुह फतेहपुर)।

⁷ ए०एस०ए०एम०एस०, नाहन; ए०एस०ए०एम०एस०, फतेहपुर, कांगड़ा; आई०टी०एफ०टी० समुह फतेहपुर, कांगड़ा; कौशल विकास सोसायटी शिक्षण समुह, ऊना और कौशल विकास सोसायटी, चम्बा।

⁸ ए०एस०ए०एम०एस० शिक्षण समुह फतेहपुर, कांगड़ा और कौशल विकास सोसायटी चम्बा।

⁹ मण्डी, कांगड़ा, शिमला और ऊना।

¹⁰ ऊना स्थित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और धर्मशाला और मण्डी स्थित क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला।

¹¹ अम्ब, बैजनाथ, वल्ह, चिडगांव, ढल्ली, देहरा, गोहर, हरोली, कुमारसैन, मैक्लोडगंज, पालमपुर, रामपुर, और सुंदरनगर।

क अमहत्वपूर्ण अथवा शून्य प्रगति

पूर्ववर्ती प्रतिवेदन में दिए गए लेखापरीक्षा परिणाम	की गई सिफारिशें	वर्तमान प्राप्तिःति जैसी कि विभाग द्वारा सूचित की गई	लेखापरीक्षा परिणाम/टिप्पणी
<p>1. वित्तीय प्रबंधन तथा व्यय (परिच्छेद 1.2.8.2)</p> <p>2004-09 के दौरान पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम०पी०एफ०) के अंतर्गत ₹ 3.95 करोड़ (11 प्रतिशत) के केंद्रीय अंश की कम अवमुक्त हुई थी और अप्रयुक्त केंद्रीय अंश ₹ 3.77 करोड़ से ₹ 4.97 करोड़ के मध्य था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निष्पादन अभिकरणों¹² से उपर्युक्त अवधि के दौरान पुलिस आवासों पर ₹ 54.93 करोड़ के व्यय का व्यौरा प्राप्त नहीं किया था।</p>	<p>निधियों की समयोचित अवमुक्ति तथा अधिग्रेत उद्देश्य के लिए उसी वर्ष में उनकी उचित प्रयुक्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय प्रबंधन को व्यवस्थित किया जाना चाहिए।</p>	<p>मार्च 2009 तक अव्ययित राशि का प्रयोग कर लिया गया था (अप्रैल 2009 से सितंबर 2009 के मध्य)।</p>	<p>स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। 2011-16 के दौरान एम०पी०एफ० के अंतर्गत देय ₹ 39.56 करोड़ के केंद्रीय अंशदान के प्रति भारत सरकार ने मात्र ₹ 20.98 करोड़ अवमुक्त किए थे और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर 21 से 87 प्रतिशत के मध्य केंद्रीय निधियों अप्रयुक्त रहीं।</p> <p>इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 2011-16 के दौरान, 'पुलिस आवास' (₹ 93.70 करोड़) तथा 'शस्त्रीकरण' (₹ 1.18 करोड़) के अंतर्गत कायान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई निधियों को पूर्णतः व्यय किया गया दर्शाया गया था परंतु विभाग ने निष्पादन अभिकरणों से व्यय का व्यौरा प्राप्त नहीं किया था।</p>
<p>2. सिविल निर्माण कार्य-आवास एवं निर्माण कार्यों का निष्पादन (परिच्छेद 1.2.9.7)</p> <p>राज्य में समस्त निम्न एवं उच्च सहायक पुलिस कर्मचारियों हेतु शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध करवाने की राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें (मार्च 2000) के प्रति 2001-09 के दौरान पुलिस कर्मचारियों हेतु आवास का संतुष्टि स्तर निश्चित किए गए लक्ष्यों (प्रवर सहायक: ए०एस०आई० से निरीक्षक: 13 प्रतिशत तथा अवर सहायक: कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल: 17 प्रतिशत) से काफी कम रहा। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्यों के निष्पादन की पर्याप्त निगरानी में भी कमी थी।</p>	<p>भवन निर्माण समयबद्ध होने में पूर्ण करने को सुनिश्चित करने हेतु निर्माण की गति को बढ़ाया जाना चाहिए।</p> <p>निष्पादन अभिकरणों को निधियों की अवमुक्ति से पूर्व स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सिविल निर्माण कार्य, विशेषकर पुलिस कर्मचारियों हेतु आवास, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अधिकतम संतुष्टि स्तर सुनिश्चित किया जाए।</p>	<p>राज्य में 16,869 पुलिस कर्मचारियों में से मात्र 2,022 (12 प्रतिशत) को मई 2016 तक आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। प्रवर सहायकों हेतु आवास का संतुष्टि स्तर 16 प्रतिशत था और अवर सहायकों का यह कम होकर 11 प्रतिशत रह गया।</p> <p>(ii) निर्माण कार्यों के निष्पादन की निगरानी नहीं की गई थी क्योंकि मार्च 2009 से पूर्व ₹ 16.69 करोड़¹³ हेतु संस्थानीकृत 23 सिविल निर्माण कार्य सात वर्षों से अधिक समय तक अपूर्ण थे।</p> <p>(iii) पुलिस कर्मचारियों हेतु आवाससुविधा तथा गैर-आवासीय भवनों जिसके लिए 2011-16 के दौरान निष्पादन अभिकरणों¹⁴ के पास ₹ 105.55 करोड़ की निधियां जमा करवाई गई थीं, से संबंधित 366 सिविल निर्माण कार्यों में से 136 निर्माण कार्य पूर्ण किए गए थे और शेष 230 निर्माण कार्य अपूर्ण थे।</p> <p>(iv) भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव देने से पहले उचित स्थलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अनुदेशों (जुलाई 2014) के बावजूद, 10 निर्माण कार्यों¹⁵ जिनके लिए 2014-16 के दौरान निष्पादन अभिकरणों के पास ₹ 5.26 करोड़ जमा करवाए गए थे, का निष्पादन स्थलों की अनुपलब्धता के कारण</p>	

¹² हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।

¹³ 2003-05: तीन (₹ 2.87 करोड़); 2005-06: पांच (₹ 3.36 करोड़); 2006-07: दो (₹ 1.63 करोड़); 2007-08: सात (₹ 5.03 करोड़) और 2008-09: छः (₹ 3.80 करोड़)।

¹⁴ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग: 155 (₹ 32.09 करोड़); भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड: 72 (₹ 27.98 करोड़); हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: 11 (₹ 2.89 करोड़); सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य: तीन (₹ 0.33 करोड़); हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड: दो (₹ 1.03 करोड़) और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण: दो (₹ 0.40 करोड़)।

¹⁵ भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड: दो (₹ 1.45 करोड़); लोक निर्माण विभाग: दो (₹ 1.10 करोड़) और हिमाचल प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण: छः (₹ 2.71 करोड़)।

			आरंभ नहीं किया जा सका था। अतः विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादनार्थ निधियां निष्पादन अधिकारों के पास थीं और सरकार ने निधियों की समयोन्नित प्रयुक्ति, स्थलों की उपलब्धता तथा समयबद्ध तरीके में निर्माण कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र तैयार नहीं किया था।
3. निगरानी एवं मूल्यांकन (परिच्छेद 1.2.11) नियमित आधार पर प्रभावी निगरानी हेतु सहायक विन्यासों तथा कार्यान्वयन अधिकारों से प्रतिवेदनों तथा विवरणों की प्राप्ति का कोई अभिलेखित साक्ष्य नहीं था और मार्च 2001 में गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एस०एल०इ०सी०) द्वारा स्कीम की निगरानी भी नहीं की गई थी।	विभाग तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति दोनों ही स्तरों पर एक दृढ़ निगरानी तंत्र अति आवश्यक है।	विभाग ने बताया (मई 2016) कि वर्ष में एक बार राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक की जा रही थी।	विभाग ने मई 2016 तक सहायक विन्यासों तथा कार्यान्वयन अधिकारों से एम०पी०एफ० स्कीम के अंतर्गत प्रतिवेदनों/ विवरणों की प्राप्ति का कोई तंत्र अब भी तैयार नहीं किया था। 2011-16 के दौरान एम०पी०एफ० स्कीम की निगरानी के लिए की गई एस०एल०इ०सी० की बैठकों के अभिलेखित साक्ष्य/ कार्यवृत्त नहीं थे, यद्यपि विभाग ने बताया था कि एस०एल०इ०सी० में वर्ष में एक बार बैठक की थी।

ख आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदनों में दिए गए लेखापरीक्षा परिणाम	की गई सिफारिशें	वर्तमान प्राप्तिश्चित्त जैसी कि विभाग द्वारा सूचित की गई	लेखापरीक्षा परिणाम/ टिप्पणी
1. पंचवर्षीय संदर्भीय योजना की आयोजना (परिच्छेद 1.2.7) विभाग ने भारत सरकार से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत पंचवर्षीय संदर्भीय योजना का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु समय पर कोई प्रयास नहीं किया था।	पंचवर्षीय संदर्भीय संदर्भीय योजना एक समायोजित ढंग से तैयार की जानी चाहिये तथा भारत सरकार से अनुमोदित की जानी चाहिए और वार्षिक कार्रवाई योजनाएं संदर्भीय योजना में से ही बनाई जानी चाहिए।	भारत सरकार को प्रस्तुत (जुलाई 2012) 2011-16 हेतु पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना जून 2016 तक अनुमोदित नहीं हुई थी। तथापि, वार्षिक कार्रवाई योजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 2011-16 हेतु वार्षिक कार्रवाई योजनाएं उपर्युक्त अवधि के लिए प्रस्तावित (जुलाई 2012) पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना में से नहीं बनाई गई थीं। अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के अनुसार पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना में प्रस्तावित निधियों की तुलना में एम०पी०एफ० के विभिन्न संघटकों ¹⁶ के अंतर्गत ₹ 26.72 करोड़ का कम आवंटन था (परिशिष्ट-3.1)।
2.1 (i) गतिशीलता (परिच्छेद 1.2.9.1) पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो के मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन हेतु दो हल्के वाहनों एवं तीन मोटर साइकिलों तथा प्रत्येक पुलिस आउटपोस्ट हेतु दो मोटर साइकिलें, लेकिन इसके विपरीत प्रत्येक पुलिस स्टेशन हेतु एक हल्का वाहन एवं दो मोटर साइकिल तथा प्रत्येक पुलिस आउटपोस्ट हेतु एक मोटर साइकिल उपलब्ध करवाई गई थी, जबकि दो पुलिस आउटपोस्ट बैगर मोटर साइकिलों के थीं। मुख्य फोकस क्षेत्रों अर्थात् पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आउटपोस्ट स्तर को एम०पी०एफ० के अंतर्गत वाहन उपलब्ध करवाने के गृह मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2000) के बावजूद 2004-09 के दौरान प्राप्त 141 वाहनों में से 77 वाहन अन्य इकाइयों में रखे गये थे।	शस्त्रीकरण, गतिशीलता तथा संचार में कमियों को भरने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य तथा विशेष समय सीमाएं निश्चित की जानी चाहिए।	प्रत्येक पुलिस स्टेशन को एक हल्का वाहन एवं दो मोटर साइकिलें और प्रत्येक पुलिस आउटपोस्ट को एक मोटर साइकिल उपलब्ध करवाई गई थी।	13 चयनित पुलिस स्टेशनों में से प्रत्येक में मात्र एक हल्का वाहन उपलब्ध था जबकि आठ पुलिस स्टेशनों में से प्रत्येक को दो मोटर साइकिलें तथा अन्य पांच ¹⁷ पुलिस स्टेशनों में से प्रत्येक को एक मोटर साइकिल उपलब्ध करवाई गई थी। गृह मंत्रालय के निर्देशों (मार्च 2000) के बावजूद 2011-13 के दौरान खरीदे गए 54 हल्के वाहनों में से 37 वाहन पुलिस स्टेशनों के बजाय अन्य इकाइयों ¹⁸ पर रखे गए थे। पुलिस स्टेशनों पुलिस आउटपोस्टों जो मुख्य फोकस क्षेत्र थे, मापदण्डों के अनुसार वाहन उपलब्धता द्वारा अपेक्षित गतिशीलता उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

¹⁶ विचलता (₹ 8.11 करोड़); सम्प्रेषण (₹ 3.03 करोड़); शस्त्रीकरण (₹ 3.62 करोड़); फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण (₹ 8.83 करोड़) और कार्यालय उपकरण (₹ 3.13 करोड़)।

¹⁷ चिड़गांव, ढली, कुमारसैन, रामपुर और सुंदरनगर।

¹⁸ राज्य पुलिस मुख्यालय (आठ वाहन), जिला मुख्यालय (12 वाहन), भारतीय रिजर्व बैटालियन (तीन वाहन) और अन्य कार्यालय (14 वाहन) अर्थात् राज्य अपराध निरीक्षण विभाग, राज्य सरकाता एवं भ्रष्टाचार निरोधी व्यूरो, उत्तर एवं दक्षिण तथा शस्त्र पुलिस एवं परीक्षण पुलिस महानिरीक्षक, इत्यादि।

<p>2.1 (ii) प्रतिक्रिया समय (परिच्छेद 1.2.9.1)</p> <p>राज्य सरकार ने न तो प्रतिक्रिया समय¹⁹ हेतु कोई मापदंड निश्चित किए थे, न ही अपराध दैनिकी में अराध स्थल की जांच के समय को अभिलेखित करने हेतु कोई अनुदेश दिए थे।</p>	<p>राज्य सरकार ने जून 2016 तक प्रतिक्रिया समय हेतु मापदंड निश्चित नहीं किए थे।</p>	<p>नमूना-जांच किए गए पुलिस स्टेशनों में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराध स्थल की जांच का समय अपराध दैनिकी में दर्ज नहीं किया गया था। संबंधित पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया (मई एवं जून 2016) कि अपराध दैनिकी में जांच के समय को अभिलेखित करने हेतु कोई विशिष्ट तंत्र नहीं था।</p>
<p>2.2 शस्त्रीकरण (परिच्छेद 1.2.9.2)</p> <p>पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो के मापदंडों की आवश्यकता के प्रति मार्च 2009 तक राज्य में 6,416 (71 प्रतिशत) 7.62 एम०एम० एस०एल०आर० राइफलों तथा 285 (88 प्रतिशत) लाइट मशीनगनों की कमी थी जबकि 869 (221 प्रतिशत) 9 एम०एम० पिस्टलों उपर्युक्त मापदंड से अधिक थी। इसके अतिरिक्त अधिकांश पुलिस ऐशन अप्रचलित एवं पुराने ढंग के शस्त्रों जैसे .303 राइफल, .455 रिवॉल्वर पर निर्भर थे।</p>	<p>पुराने/ अप्रचलित शस्त्रों के निपटान/बदलाने से संबंधित मामला विचाराधीन था (मई 2016)।</p>	<p>विभाग में मार्च 2016 तक 9,074 7.62/5.56 एम०एम० एस०एल०आर० राइफलों तथा 323 लाइट मशीनगनों की आवश्यकता के प्रति 5.889 राइफलों तथा 191 लाइट मशीनगनों थीं, परिणामतः 7.62/5.56 एम०एम० एस०एल०आर० राइफलों तथा लाइट मशीनगनों में क्रमशः 35 एवं 41 प्रतिशत की कमी थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने मार्च 2016 तक पुराने शस्त्रों का निपटान/ आधुनिक शस्त्रों के साथ प्रतिस्थापन नहीं किया था।</p>
<p>2.3 पुलिस संचार नेटवर्क (परिच्छेद 1.2.9.3)</p> <p>राज्यों की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिए पोलनेट परियोजना, जो 2003-09 के दौरान राज्य में प्रतिष्ठापित एकीकृत नेटवर्क आधारित एक सैटेलाइट है, प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही थी क्योंकि जिला मुख्यालयों पर प्रतिष्ठापित तीन (13 में से) अतिलघु ऐपर्चर टर्मिनल (वी-सैट) खराब थे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए (2004-09) 79 मल्टी एक्सेस रेडियो टर्मिनलों में से मात्र 47 प्रतिष्ठापित किए गए थे और वो भी पहाड़ी राज्यों में प्रभावकारी नहीं थे।</p>	<p>पुलिस महानिदेशक ने बताया (अप्रैल 2016) कि पुलिस वायरलैस समन्वय निदेशालय में पोलनेट (वी-सैट) का डी०वी०बी०-एस० 2 या डी०वी०बी० एस० 2 एक्स में उन्नयन, प्रक्रियाधीन है।</p>	<p>कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति और शिमला स्थित मात्र तीन वी-सैट काम कर रहे थे तथा अन्य वी-सैट पुराने प्रौद्योगिकी के कारण काम नहीं कर रहे थे और हिम स्वान से प्रतिस्थापित मल्टी एक्सेस रेडियो टर्मिनल तंत्र अप्रैल 2016 तक अप्रयुक्त थे।</p>
<p>3. समान एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सी०आई०पी०ए०) (परिच्छेद 1.2.9.4)</p> <p>राज्य में पुलिस स्टेशनों में गृह मंत्रालय (2005-06) ने विभिन्न अपराधों से संबंधित एक डाटाबेस विकसित करने हेतु एक परियोजना अर्थात् समान एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग आरंभ की थी। यद्यपि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने राज्य के समस्त 112 पुलिस स्टेशनों में तंत्र प्रतिष्ठापित किया था (2005-09) लेकिन त्रुटि मुक्त सॉफ्टवेयर प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था।</p>	<p>पुलिस स्टेशनों सहित समस्त स्तरों पर इलैक्ट्रोनिक तरीके से तत्क्षण सूचना प्राप्त करने हेतु तत्काल अपेक्षित स्तर तक सी०आई०पी०ए० का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।</p>	<p>भारत सरकार ने क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सी०सी०टी०एन०एस०) नाम की परियोजना की कल्पना की और इसे अनुमोदित किया (जुलाई 2009)। इस परियोजना का लक्ष्य राज्य को ई-गवर्नेंस व आर्ट ट्रैकिंग सिस्टम में सक्षम करने के माध्यम से पुलिस की क्षमता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि करने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत तंत्र का निर्माण करना था और इनसे सी०आई०पी०ए० का संपूर्ण प्रयोग नहीं किया जा रहा था तथा संपूर्ण देश में पुलिस के पूर्ण एकीकरण तथा क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य अप्राप्त रहा।</p>

¹⁹ संदेश प्राप्ति का समय/एफ०आई०आर० लिखे जाने और अपराध स्थल पर वास्तव में पुलिस के पहुंचने में लगा कुल समय।

²⁰ अम्ब, बल्ह, बैजनाथ, चिङ्गांव, गोहर, हरोली, कुमारसैन, मैक्लोडगंज, , रामपुर, और सुंदरनगर।

		को बदल कर सी०सी०टी०ए०ए०स० को राज्य में ₹ 6.98 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् अगस्त 2015 में परिचालित किया गया।	
4. विधि विज्ञान प्रयोगशाला (परिच्छेद 1.2.9.6)	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 56 प्रतिशत तक तकनीकी पदों की कमी के कारण अप्रैल 2009 तक अपराध मामलों/नमूनों की जांच में 12 से 218 दिनों का विलंब था। मार्च 2009 तक लगभग 17 प्रतिशत मामले परीक्षण हेतु लंबित थे।	विभाग को न्यायालय में अपराधियों का समयोचित अभियोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूनों की जांच में विलंब कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।	विभाग ने 2011-16 के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में संचालित परीक्षणों की संख्या की सूचना देते हुए परीक्षणों के संचालन में विलंब हेतु कोई कारण नहीं दिए थे। मई 2016 तक विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में स्टॉफ की कमी को 25 प्रतिशत तक दूर कर दिया गया था। राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अपराध मामलों के दस्तावेजों/ नमूनों के परीक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश विधि विज्ञान विकास बोर्ड द्वारा निश्चित की गई समयसीमा (जुलाई 2012) के प्रति 2012-16 के दौरान 4,393 मामलों (23,590 में से) का निपटान किया गया था। 2012-16 के मध्य 4,393 नमूनों ²¹ की जांच में दो से 207 दिनों का विलंब था।

ग पूर्ण कार्यान्वयन

कोई भी सिफारिश संपूर्णतः कार्यान्वित नहीं की गई थी।

3.4.3 निष्कर्ष

सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के कार्यान्वयन का विस्तार आंशिक रूप से कार्यान्वित सिफारिशों हेतु 50 प्रतिशत तथा कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों हेतु 50 प्रतिशत था (जुलाई 2016)। पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना के सूत्रीकरण, गतिशीलता हेतु अंतरों को भरने, शस्त्रीकरण तथा संचार और विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अपराध नमूनों के विश्लेषण में विलंब कम करने से संबंधित सिफारिशों के आंशिक कार्यान्वयन के कारण स्कीम के अभिप्रेत उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हुए।

मामला अगस्त 2016 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

3.5 कारागारों में सुधार, पुनरुद्धार तथा अन्य सुविधाएं

2013-16 के दौरान नमूना-जांच की गई जेलों में से मात्र 69 कैदियों ने शैक्षणिक पात्रता प्राप्त की थी और मुक्त किए गए 786 कैदियों में से 50 कैदियों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था, इस प्रकार विभाग ने बहुतायत कैदियों को शैक्षणिक एवं पुनरुद्धार अवसर उपलब्ध नहीं करवाए थे। मॉडल कारागार नियमावली में परिकल्पित संस्थागत अवसंरचनाओं तथा प्रक्रियाओं की स्थापना नहीं की गई थी जिससे निर्णय क्षमता और राज्य के कारागारों में अपेक्षित सुविधाओं एवं अवसंरचना के प्रावधान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कारागारों में रिसेप्शन केन्द्रों के विद्यमान न होने से क्षय रोग, दाद-खाज, हृदय रोग तथा गुर्दे की समस्या सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुसंख्यक कैदियों को अलग नहीं किया गया और उनको बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया, जिससे अन्य कैदी भी संभावित संक्रामक रोगों से ग्रस्त पाए गए। कारागारों में रिसेप्शन केन्द्रों पर चिकित्सा जांच सुविधा न होने से नमूना-जांच किए गए कारागारों में 809 में से विभिन्न रोगों से ग्रस्त 456 नये कैदी बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखे गए थे। अधिकतर कारागार अतिसंकुलित थे और कारागारों में चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं।

3.5.1 परिचय

कारागार विभाग का लक्ष्य विविध प्रकार की शिक्षा, कार्य अभ्यासों/ कौशलों के विकास, सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में परिवर्तन तथा पुनरुद्धार हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण अवसरों के माध्यम से अपराधियों को उचित सुधारात्मक उपचार देकर उनका सुधार तथा पुनरुद्धार करना है राज्य में महानिदेशक, कारागार के प्रशासनिक

²¹ जीव विज्ञान एवं सीरम विज्ञान: 312 (दो से 40 दिनों का विलम्ब); रसायन एवं विज्ञान: 2,048 (दो से 40 दिनों का विलम्ब); भौतिकी एवं बैलिस्टिक्स: 393 (दो से 55 दिनों का विलम्ब); दस्तावेज एवं फोटोग्राफी: 1,120 (दो से 207 दिनों का विलम्ब); नशीले, ड्रग्स एवं मानसिक रोगी पदार्थ: 144 (दो से 70 दिनों का विलम्ब) तथा डीऑक्सीरीबो न्यूक्लिक एसिड: 376 (दो से 10 दिनों का विलम्ब)।

नियंत्रण के अंतर्गत 12 कारागार²² हैं। कारागारों में सुधारों, पुनरुद्धार तथा अन्य सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए मई 2016 के दौरान अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक की अवधि को कवर करते हुए महानिदेशक, कारागार एवं चार कारागारों²³ के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

कारागार स्थापना, प्रशिक्षण, कार्यालयी खर्चों, कारागार अवसंरचना के निर्माण/ रख-रखाव, कैदियों को भोजन/ औषधियों एवं अन्य सुविधाओं सहित सामग्री तथा आपूर्ति पर अनुमोदित बजट के प्रति व्यय करता है। कारागार प्राप्तियों में कारागार फैक्ट्रियों में निर्मित तैयार माल की बिक्री और अयोग्य मदों का निपटारा, आदि सम्मिलित हैं।

2013-16 के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय तथा उसके प्रति आकलित प्राप्तियों एवं उद्ग्रहण की स्थिति तालिका-3.5.1 में दी गई है।

तालिका-3.5.1: 2013-16 के दौरान आकलनों के प्रति व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	आकलित प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां
2013-14	22.35	22.35	0.38	0.15
2014-15	27.32	27.32	0.18	0.20
2015-16	27.47	27.41	0.18	0.27
योग	77.14	77.08	0.74	0.62

स्रोत: विभागीय अंकड़े।

3.5.2 सुधार तथा पुनरुद्धार

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली का परिच्छेद 4 कैदियों को कारागारों में बंद रखकर मात्र दंड देने के स्थान पर कैदियों को सुधारात्मक तथा पुनरुद्धारात्मक उपचार उपलब्ध करवाकर कारागारों को सुधार गृहों में परिवर्तित करने पर बल देता है।

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली, विविध प्रकार की शिक्षा, कार्य अभ्यासों एवं कौशलों के विकास, दृष्टिकोण में परिवर्तन, व्यवहार में अंतर तथा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के जाग्रति के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु कारागार प्राधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों के वैयक्तिकरण हेतु प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 2003 में सूत्रबद्ध मॉडल कारागार नियमावली, हस्तशिल्प कार्य को प्रमुखता देने सहित कैदियों को तकनीकी शिक्षा देने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया:

(क) 2013-16 के दौरान नमूना-जांच किए गए कारागारों में 1,116 कैदियों में से मात्र 69 कैदियों²⁴ अर्थात मात्र छः प्रतिशत ने शैक्षणिक पात्रता²⁵ प्राप्त की थी।

(ख) 2013-16 के दौरान तीन नमूना जांच किए गए कारागारों में मुक्त किए गए 786 कैदियों (बिलासपुर: 88; धर्मशाला: 272; तथा कण्डा: 426) में से मात्र 50 कैदियों (6 प्रतिशत) को विभिन्न ट्रेडों²⁶ में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था जबकि उपर्युक्त अवधि के दौरान उप-कारागार, मंडी से मुक्त किए गए 78 कैदियों में से किसी को भी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

3.5.3 संस्थागत अवसंरचनाओं की गैर-स्थापना

मॉडल कारागार नियमावली, कारागारों के बेहतर प्रबंधन हेतु संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं की संस्थागताओं की परिकल्पना भी करती है। लेखापरीक्षा में निम्नवत् पाया गया:

(i) मॉडल कारागार नियमावली के अनुसार राज्य सरकार से स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य कारागार नियमावली का सूत्रीकरण अपेक्षित था। राज्य सरकार ने मॉडल कारागार

²² केन्द्रीय कारागार: कण्डा एवं नाहन; जिला कारागार: चम्बा एवं धर्मशाला और उप-कारागार: बिलासपुर (ओपन एअर कारागार सहित), हमीरपुर, कैथु, कुल्लू, मण्डी (बोर्सटल कारागार सहित), नूरपुर, सोलन एवं ऊन।

²³ केन्द्रीय कारागार: कण्डा; जिला कारागार: धर्मशाला और उप-कारागार: बिलासपुर एवं मण्डी।

²⁴ बिलासपुर: तीन, धर्मशाला: 32, कण्डा: 33 और मण्डी: एक।

²⁵ बारहवीं: 58, स्नातक/ स्नातकोत्तर: तीन तथा सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम: आठ।

²⁶ बिलासपुर: बेकरी एवं कैन्टीन (05); धर्मशाला: (बढ़ीगिरी, मोबाइल कैन्टीन, कार वाशिंग, टेलरिंग, बेकरी, लांडरी, कैन्टीन एवं डेयरी (09); कण्डा: सिलाई, मोबाइल कैन्टीन एवं डेयरी (36)।

नियमावली के अनुसार हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली में संशोधन नहीं किया था। प्रमुख कल्याण अधिकारी ने बताया (जून 2016) कि नवीन कारागार नियमावली का सूचीकरण प्रगति पर था।

(ii) मॉडल कारागार नियमावली कारागारों में सुधारात्मक कार्य, कैदियों के पुनरुद्धार तथा कैदियों की शिकायतों के निपटारे से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार तथा कारागार प्रशासन को सलाह देने के लिए प्रधान सचिव (कारागार) की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें 17 अन्य सदस्य तथा महानिरीक्षक कारागार इसका सदस्य सचिव होगा। मई 2016 तक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन नहीं किया गया था।

(iii) मॉडल कारागार नियमावली अनुबद्ध करती है कि त्वरित निर्णय क्षमता तथा आधुनिक तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता का सम्पूर्ण लाभ लेने के लिए अध्यक्ष रूप में मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में कारागार मंत्री, सात पदेन निदेशकों²⁷ तथा सरकार द्वारा नामित एक महिला सहित दो गैर-सरकारी सदस्यों तथा प्रबंध निदेशक के रूप में महानिरीक्षक कारागार से युक्त मई 2016 तक राज्य में एक उच्च शक्ति प्राप्त कारागार विकास बोर्ड का गठन किया जाना था।

3.5.4 अवसंरचना की उपलब्धता

3.5.4.1 रिसेप्शन केंद्रों का विद्यमान न होना

कैदियों को चिकित्सा, आयु, लिंग, व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य आधारों पर पृथक करने के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली ऐसे प्रत्येक कारागार हेतु एक रिसेप्शन केन्द्र का प्रावधान करती है जिसमें नये आये कैदियों को पंद्रह दिनों के लिए रखा जाना है। नमूना-जांच किए कारागारों में 2013-16 के दौरान कोई रिसेप्शन केंद्र स्थापित नहीं किया गया था और उपर्युक्त अवधि के दौरान 809 नये कैदियों²⁸ को चिकित्सा, आयु तथा व्यवहार के आधारों पर पृथक नहीं किया गया था। इनमें से विभिन्न रोगों जैसे क्षय रोग, दाद-खाज, हृदय रोग, गुर्दे की समस्या, इत्यादि से ग्रस्त 456 कैदियों को बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया था। अतः विभिन्न रोगों से ग्रस्त कैदियों को पृथक नहीं किया गया था ताकि उनको विशिष्ट चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाई जाए। इसके अतिरिक्त अन्य कैदियों का स्वास्थ्य भी जोखिम में डाला गया था।

3.5.4.2 स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली प्रत्येक कारागार में बीमार कैदियों को देखने के लिए अस्पताल अथवा उचित स्थान का प्रावधान करती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंडी कारागार में बीमार कैदियों को देखने के लिए ऐसा कोई अस्पताल अथवा स्थान नहीं था तथा वहां चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य वार्डर का कक्ष बीमार कैदियों को देखने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, अन्य नमूना जांच किए गए कारागारों के चिकित्सालयों में कैदियों के उपचार हेतु उचित स्वास्थ्य अवसंरचना (जांच प्रयोगशालाएं, यंत्र एवं उपकरण, वस्त्र एवं बिस्तर, रसोई, भोजन हेतु उचित बर्तन) उपलब्ध नहीं थी।

3.5.4.3 कारागारों में अतिसंकुलता (अधिक भीड़)

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली निर्धारित करती है कि जब कारागारों में बंदियों की संख्या अधिकतम क्षमता तक पहुंचती है तब कारागार महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को कुछ बंदियों के स्थानांतरण अथवा बाहर अस्थायी आवास की व्यवस्था, जैसा भी मामला हो, हेतु सूचित किया जाएगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में समग्र रूप से 1,732 कैदियों की क्षमता के प्रति 01 अप्रैल 2014, 2015 तथा 2016 तक क्रमशः 2,076, 2,137 तथा 1,962 कैदी थे जो इंगित करता था कि कारागारों में उपर्युक्त अवधि के दौरान दो से 122 प्रतिशत तक अधिक अधिभोग सहित अतिसंकुलता थी। विभाग ने कारागारों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। कारागारों में अतिसंकुलता से अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां पैदा होने के अतिरिक्त सुरक्षा का मामला भी उठ सकता था।

²⁷ उच्च न्यायालय का पंजीयक, प्रधान सचिव (गृह, वित्त, राजस्व एवं विधि विभाग), पुलिस महानिदेशक एवं अभियोग निदेशक।

²⁸ बिलासपुर: 103, धर्मशाला: 185, कण्डा: 442 एवं मण्डी: 79

मंडी कारागार प्राधिकारियों ने बताया (मई 2016) कि नवीन कारागार के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ विचाराधीन था।

3.5.4.4 बैरकों में शायिकाओं की अनुपलब्धता

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली के अनुसार प्रत्येक वार्ड अथवा अन्य कक्ष में सिर से नीचे हल्की ढाल सहित दीवार में चिनी हुई साढ़े छः फुट लंबी, सवा दो फुट चौड़ी तथा 18 इंच ऊँची शायिकाएं उपलब्ध करवाई जानी थीं। दो शायिकाओं के मध्य रिक्त स्थान साधारणतः 0.60 मीटर से कम नहीं होगा। नमूना-जांच किए गए कारागारों में लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि बिलासपुर कारागार के सभी पांच बैरकों में एक भी शायिका नहीं थी। अन्य नमूना जांच किए गए कारागारों में 42 बैरकों में से 21 बैरकों²⁹ में शायिकाएं उपलब्ध नहीं थीं।

3.5.4.5 ओपन एयर कारागार हेतु बैरकों के निर्माण पर व्यर्थ व्यय

राज्य सरकार ने ओपन एयर कारागार में दो नवीन बैरकों के निर्माण हेतु ₹ 64.75 लाख³⁰ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति दी थी और लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु राशि अवमुक्त की थी (सितंबर 2012 एवं फरवरी 2013)। निर्माण कार्य दो वर्षों में सम्पन्न किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि लोक निर्माण विभाग ने समस्त राशि हेतु उपयोक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, तथापि नवंबर 2015 में मात्र एक ओपन एयर बैरक (आकलित लागत ₹ 30.60 लाख) का निर्माण पूर्ण हुआ था और शेष एक बैरक का निर्माण कार्य मई 2016 तक पूर्ण नहीं हुआ था। दूसरे ओपन एयर बैरक के निर्माण से पूर्व ही इसके लिए ₹ 34.15 लाख के उपयोक्ता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना अनियमित था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि ओपन एयर कारागार बिलासपुर में 80 बंदियों की क्षमता के प्रति 2010-13 के दौरान अधिभोग 52 से 66 के मध्य था। विद्यमान क्षमता का ही उपयोग न करने के मद्देनजर दो अन्य बैरकों के निर्माण का प्रस्ताव तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.75 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ क्योंकि सुरक्षा कारणों से ओपन एयर कारागार का किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया जा सकता था।

3.5.5 कारागारों में स्वास्थ्य सुविधाएं

3.5.5.1 चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली प्रत्येक कारागार में एक चिकित्सा अधिकारी तथा एक दवासाज के लिए प्रावधान करती है। चिकित्सा अधिकारी के न होने के मामले में इसके स्थान पर कारागार अधीक्षक के लिखित आग्रह पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी कैदियों की जांच करने के लिए प्राधिकृत है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) 2013-16 के दौरान राज्य में समस्त कारागारों में दवासाज नियुक्त किए गए थे। तथापि, नमूना जांच किए गए कारागारों में चिकित्सा अधिकारियों के चार संस्वीकृत पदों के प्रति उपर्युक्त अवधि के दौरान केंद्रीय कारागार कण्डा में मात्र एक चिकित्सा अधिकारी तैनात था। इसके अतिरिक्त, राज्य में अन्य कारागारों हेतु चिकित्सा अधिकारियों के कोई पद संस्वीकृत नहीं थे।

(ii) जैसा कि नमूना जांच किए गए कारागारों (बिलासपुर, कण्डा, तथा मंडी) के बाह्य रोगी विभाग रजिस्टर से सत्यापित किया गया कि 2013-16 के दौरान दवासाजों ने रोगियों की निदान जांच की थी तथा ₹ 18.12 लाख (46,340 गुना) मूल्य की दवाएं नियत की थी जो हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली के प्रावधान के विपरीत था।

3.5.5.2 अस्पतालों में कैदियों की भर्ती न होना

जब चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर एक कैदी को चिकित्सा देखभाल देना तथा सरकारी अस्पताल में भर्ती करना अपेक्षित हो, तब जेल प्राधिकारियों को कैदी को पुलिस अधिकारी के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने हेतु तुरंत पुलिस सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो नमूना जांच किए गए कारागारों (कण्डा एवं मंडी) में 2013-16 के दौरान 7,824 रेफरलों के प्रति कैदियों को मात्र 2,732 बार

²⁹ धर्मशाला: मात्र एक बैरक शायिका रहित एवं सपाट चबूतरे सहित आठ बैरक; कण्डा: शायिका रहित 10 बैरक तथा मण्डी: मात्र छः इंच ऊँचाई के दो बैरक।

³⁰ सितम्बर 2012: ₹ 34.15 लाख तथा जनवरी 2013: ₹ 30.60 लाख।

(35 प्रतिशत) सरकारी अस्पतालों में भेजा गया था। संबंधित जेल प्राधिकारियों ने बताया (मई 2016) कि रेफर किए गए कैदियों को अपर्याप्त पुलिस एस्कॉर्ट के कारण अस्पतालों में नहीं भेजा जा सका था।

3.5.6 जलापूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं

समस्त कारागारों में जलापूर्ति, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी होती है। हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष की लगभग 05 जनवरी को समस्त कारागार कुओं/ट्यूब वैलों के पानी जिसका प्रयोग पीने अथवा धोजन पकाने के उद्देश्यों के लिए होता है, की रसायन परीक्षण द्वारा गुणात्मक जांच की जानी होती है। लेखापीका में पाया गया कि 2013-16 के दौरान कारागार प्राधिकारियों ने अपेक्षित जल गुणवत्ता जांच सुनिश्चित नहीं की थी। उप-कारागार, बिलासपुर में 2013-16 के दौरान किसी भी रसायन परीक्षक से गुणवत्ता जांच करवाए बिना बोरवेल का पानी कैदियों को उपलब्ध करवाया जा रहा था। परिणामस्वरूप उपर्युक्त अवधि के दौरान डायरिया, आंत्रशोथ, पेट दर्द एवं उल्टी के 146 मामले पाए गए थे।

3.5.7 अन्य मामले

3.5.7.1 ई-पेशियों तथा कारागार-वार्ता की सुविधाएं

पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था की समस्या को दूर करने और इसकी लागत को कम करने के मद्देनजर भारत सरकार ने सुझाव दिया था (अगस्त 2001) कि कारागार विभाग को कारागारों तथा न्यायालयों के मध्य विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा आरंभ करनी चाहिए।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कारागार विभाग में ई-पेशियों³¹ कार्यक्रम प्रतिष्ठापित किया था (जुलाई 2014) ताकि न्यायालयों के समक्ष कैदियों की पेशियां विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो सके। तथापि, 2014-16 के दौरान नमूना जांच किए कारागारों के कैदियों की न्यायालय के समक्ष 31,284 पेशियों में से मात्र 1,518 (पांच प्रतिशत) ई-पेशियों हुई थीं और शेष 29,766 पेशियां कैदियों को न्यायालयों में दैहिक रूप में प्रस्तुत करने के द्वारा हुई थीं जिस पर ₹ 60.58 लाख का व्यय हुआ था। विडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं जो समय, धन तथा कैदियों के अनावश्यक आवागमन को बचाने के लिए थीं, का उचित उपयोग नहीं हुआ था और विभाग न्यायालय परिसरों में कैदियों को ले जाता रहा था।

कारागार प्राधिकारियों ने बताया (मई 2016) कि कमी खराब संयोजकता व अपर्याप्त अवसंरचना के कारण थी।

3.5.7.2 आधुनिक सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता

मॉडल कारागार नियमावली प्रावधान करती है कि कारागारों में सुरक्षा के अपेक्षित स्तरों के अनुरक्षण हेतु आधुनिक सुरक्षा उपकरण होने चाहिए जैसे जैमर, मेटल डिटेक्टर, स्क्रीनिंग मशीनें, क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी0सी0टी0वी0), कैमरे तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण।

लेखापीका में पाया गया कि किसी भी नमूना जांच किए गए कारागार में प्रतिबंधित सामान का प्रवेश वर्जित करने हेतु स्क्रीनिंग (एक्स-रे), मेटल डिटेक्शन, विस्फोटक डिटेक्शन तथा मोबाइल फोन जैमिंग की सुविधाएं नहीं थीं। नमूना जांच किए गए कारागारों में प्रतिष्ठापित (सितंबर 2009) 21 सी0सी0टी0वी0 कैमरों³² में से 10 कैमरे³³ मई 2012 से काम नहीं कर रहे थे। इससे कारागारों की सुरक्षा जोखिम में पड़ी।

3.5.8 निष्कर्ष

विभाग ने बहुसंख्यक कैदियों को शिक्षा एवं पुनरुद्धार के अवसर उपलब्ध नहीं करवाए थे, इस प्रकार कैदियों को उनकी मुक्ति पर वैकल्पिक रोजगार हेतु कौशल एवं पात्रता उपलब्ध करवाने के माध्यम से कैदियों के सुधार एवं पुनरुद्धार का मुख्य उद्देश्य विफल हुआ। मॉडल कारागार नियमावली में परिकल्पित संस्थागत अवसंरचनाएं तथा प्रक्रियाएं स्थापित नहीं की गई थीं जिसका निर्णय क्षमता तथा राज्य के कारागारों में अपेक्षित सुविधाओं एवं अवसंरचना के प्रावधान पर नकरात्मक प्रभाव हुआ। कारागारों में रिसेप्शन केन्द्रों के न होने से क्षय रोग, दाद-खाज, हृदय रोग एवं गुर्दे की समस्याओं सहित विभिन्न रोगों से ग्रस्त बहुसंख्यक कैदियों को पृथक नहीं किया गया था और उनकों बैरकों में अन्य कैदियों के साथ रखा गया था जिससे अन्य कैदी

³¹ मुकदमा कार्यवाही हेतु न्यायाधीश के समक्ष भौतिक उपस्थिति के बिना विडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा कैदियों की प्रस्तुति।

³² बिलासपुर: 5, धर्मशाला: 5, कण्डा: 6 तथा मण्डी: 5

³³ कण्डा: 6 तथा मण्डी: 4

सम्भावित संक्रामक रोगों की हृद में थे। चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त थीं और मानव उपयोग हेतु आपूरित जल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता की जांच नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम जुलाई 2016 में सरकार को प्रेषित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

उद्योग विभाग

3.6 खनिजों के निष्कर्षण पर रॉयल्टी तथा ब्याज की वसूली न करना

विभाग एक फर्म से खनिजों के निष्कर्षण हेतु ₹ 22.72 करोड़ की रॉयल्टी तथा ₹ 4.39 करोड़ के ब्याज की वसूली में विफल रहा।

राज्य सरकार ने भारत सरकार के अनुमोदन से तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनुरूप एक फर्म (पट्टेदार) को चूना पत्थर एवं शैल के निष्कर्षण की स्वीकृति देते हुए उसके साथ 30 वर्षों के लिए खनन पट्टे का निष्पादन किया था (सितंबर 2007)। पट्टा अनुबंध के अनुसार पट्टेदार स्वयं अथवा उसके एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा संविदाकार द्वारा निकाले अथवा उपभोग किए गए खनिज हेतु पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष रॉयल्टी के भुगतान हेतु दायी था। इसके अतिरिक्त, यदि रॉयल्टी का भुगतान 60 दिनों के निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो इस (रॉयल्टी) पर देय 24 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जाना था। भारत सरकार ने चूना पत्थर हेतु ₹ 80 प्रति मीट्रिक टन तथा शैल हेतु ₹ 60 प्रति मीट्रिक टन की रॉयल्टी दर निश्चित की थी जो सितम्बर 2014 से प्रभावी थी।

खनन अधिकारी सोलन के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नवम्बर 2014 तक खनन के दूसरे वर्ष से चूना पत्थर तथा शैल पत्थर की मासिक खपत पर पट्टाधारक से रॉयल्टी वसूली गयी थी। पट्टाधारक ने माह दिसम्बर 2014 से बिना कोई कारण बताए रॉयल्टी की अदायगी करना बंद कर दी जबकि उसको नोटिस भी जारी किए गए थे (मार्च-जुलाई 2015)। पट्टाधारक ने दिसम्बर 2014 से मार्च 2016 तक 39.05 लाख मीट्रिक टन चूने का पत्थर तथा 4.80 लाख मीट्रिक टन शैल पत्थर निकाला जिस पर ₹ 34.12 करोड़ की रॉयल्टी उद्ग्रहणीय थी। लेखापरीक्षा में इसे उजागर करने पर (दिसम्बर 2015) विभाग ने भारत सरकार द्वारा फर्म को स्वीकृत परिवहन संस्थिती में से ₹ 11.40 करोड़ की रॉयल्टी की वसूली की (फरवरी 2016) तथा ₹ 27.11 करोड़ (रॉयल्टी: ₹ 22.72 करोड़ तथा अप्रैल 2016 तक गणित ब्याज: ₹ 4.39 करोड़) की वसूली नहीं की गई थी।

खनन अधिकारी सोलन ने बताया (मई 2016) कि देय रॉयल्टी तथा उस पर ब्याज की वसूली का मामला पहले ही उठाया जा चुका है।

लेखापरीक्षा परिणामों को अप्रैल 2016 में सरकार को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2016)।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग

3.7 जल प्रभारों का निर्धारण तथा संग्रहण

2013-16 के दौरान लाभार्थियों से देय ₹ 371.77 करोड़ के जल प्रभारों के प्रति केवल ₹ 91.64 करोड़ की वसूली हो सकी तथा बकाया अप्रैल 2013 में ₹ 167.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 280.06 करोड़ हो गया था। दरों को गलत लागू करने के कारण नमूना-जांचित मण्डलों में ग्रामीण घरेलू कनैक्शनों के सम्बन्ध में ₹ 2.95 करोड़ के जल प्रभारों का कम निर्धारण हुआ। लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से जल प्रभारों के ऑनलाइन संग्रहण की प्रणाली को दक्षतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि 2013-15 के दौरान सेवा केन्द्र अभिकरणों द्वारा ₹ 0.40 करोड़ कम जमा करवाये गये थे।

3.7.1 परिचय

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों को पेयजल तथा राज्य के किसानों को सिंचाई के उद्देश्य के लिए जल की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी है। सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर

पेयजल प्रभारों का निर्धारण तथा संग्रहण हिमाचल प्रदेश आपूर्ति अधिनियम, 1968 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियमावली, 1989 द्वारा शासित किया जाता है।

2013-14 से 2015-16 की अवधि को आवृत्त करते हुए जल प्रभारों के निर्धारण तथा संग्रहण की लेखापरीक्षा जल कनैक्शनों की संख्या तथा जल प्रभारों की बकाया राशि के आधार पर प्रमुख अधियन्ता तथा राज्य में नौ³⁴ (53 में से) मण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच द्वारा जनवरी से अप्रैल 2016 के दौरान की गई थी।

3.7.2 जल प्रभारों का निर्धारण तथा संग्रहण


पेयजल की आपूर्ति को तीन क्षेत्रों³⁵ में विभाजित किया गया है। ग्रामीण जलापूर्ति खण्ड में घेरलू उपभोक्ताओं से एक समान दरों पर प्रभार लिए जाते हैं जबकि शहरी जलापूर्ति खण्डों में मीटर दरों के आधार पर तथा मीटर रहित कनैक्शनों के मामलों में एक समान दरों के आधार पर प्रभार लिए जाते हैं। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न दरों निर्धारित की गई हैं। उप-मण्डल के सहायक अधियन्ता को जल प्रभारों के निर्धारण तथा संग्रहण के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है।

3.7.2.1 जल प्रभारों की मांग तथा वसूलियों की गति

हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति अधिनियम के अनुसार जल प्रभारों की वसूली एक समान दर अथवा मीटर कनैक्शनों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। उद्ग्रहित जल प्रभारों, यदि जब देय हों तब भुगतान नहीं किया गया हो, को भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किया जाएगा। लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ कि:

(i) 2013-16 के दौरान जैसाकि चार्ट-3.7.1 में दिखाया गया है कि राज्य में उपभोक्ताओं से देय ₹ 371.77 करोड़ के जल प्रभारों के प्रति केवल ₹ 91.64 करोड़ वसूल किए गए थे तथा बकाया अप्रैल 2013 में ₹ 167.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 280.06 करोड़ हो गया था। उक्त अवधि के दौरान वसूली की प्रतिशतता 10 तथा 12 के मध्य रही। बकाया में से प्रमुख भाग अर्थात् ₹ 260.16 करोड़ बड़े जलापूर्ति क्षेत्र से सम्बन्धित था।

चार्ट-3.7.1



(ii) 2013-16 के दौरान नमूना-जांचित मण्डलों में लाभार्थियों से देय ₹ 296.22 करोड़³⁶ के जल प्रभारों के प्रति केवल ₹ 32.33 करोड़³⁷ (11 प्रतिशत) वसूल किए गए थे तथा बकाया अप्रैल 2013 में ₹ 133.11 करोड़ से बढ़कर मार्च 2016 तक ₹ 263.89 करोड़ हो गया था।

³⁴ धर्मशाला, हमीरपुर, मण्डी, नाहन, पालमपुर, शिमला खण्ड-I और II, सोलन तथा सुन्दरनगर।

³⁵ ग्रामीण जलापूर्ति खण्ड, शहरी जलापूर्ति खण्ड (लाभार्थियों को सीधी आपूर्ति) तथा बल्क आपूर्ति खण्ड (नगर समितियां सोलन व पालमपुर तथा नगर निगम, शिमला को आपूर्ति)।

³⁶ अथ शेष: ₹ 163.11 करोड़ तथा की गई मांग ₹ 133.11 करोड़ (2013-14: ₹ 41.44 करोड़, 2014-15: ₹ 44.20 करोड़ और 2015-16: ₹ 47.47 करोड़)।

³⁷ 2013-14: ₹ 10.18 करोड़, 2014-15: ₹ 10.85 करोड़ और 2015-16: ₹ 11.30 करोड़।

जल प्रभार के बकाया में निरन्तर वृद्धि नगरपालिकाओं से राशि वसूल करने में विभाग की विफलता दर्शाती है विशेषकर जब नगरपालिकाओं द्वारा स्वयं उपभोक्ताओं को बिल तथा प्रभार दिए जा रहे थे। विभाग ने भू-राजस्व के बकाया के रूप में जल प्रभारों की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई भी नहीं की थी।

प्रमुख अभियन्ता ने बताया (जून 2016) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित कार्रवाई आरम्भ करने के आदेश जारी किए गए थे।

3.7.2.2 जल प्रभारों का कम निर्धारण

राज्य सरकार की जून 2005 की अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों (सोलन, पालमपुर और शिमला को छोड़कर) में घरेलू तथा वाणिज्यिक कनैक्शनों हेतु जल प्रभार दरों को प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रैल से 10 प्रतिशत की वृद्धि देकर संशोधित किया जाना था। अधिसूचना यह भी बताती है कि शहरी क्षेत्रों में सभी कनैक्शनों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वाणिज्यिक कनैक्शनों के सम्बन्ध में मीटर स्थापित किए जाने थे। लेखापरीक्षा में निम्नवत् अवलोकित हुआ:

(i) 2013–16 के दौरान राज्य में कुल मिलाकर प्रत्येक जलापूर्ति खण्डों के सम्बन्ध में जल उपभोक्ताओं की संख्या, आवंटित जल कनैक्शनों तथा स्थापित जल मीटरों का विस्तृत डाटा प्रमुख अभियन्ता स्तर पर अनुरक्षित/ अद्यतन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप शिखर स्तर पर अनुश्रवण का अभाव था।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनैक्शनों के मामले में आठ नमूना-जांचित मण्डलों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 2013–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित दरों के अनुसार जल प्रभारों को निर्धारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप तालिका-3.7.1 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 2.95 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।

तालिका-3.7.1: 2013–16 के दौरान ग्रामीण घरेलू कनैक्शनों से जल प्रभारों के कम निर्धारण का विवरण

वर्ष	कनैक्शनों की संख्या	संशोधित दरें प्रति कनैक्शन प्रति मास (₹ में)	संशोधित दरों पर देय राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक रूप में निर्धारित (₹ करोड़ में)	कम निर्धारण (₹ करोड़ में)
2013–14	1,15,614	21.45	2.98	2.35	0.63
2014–15	1,38,579	23.60	3.92	2.99	0.93
2015–16	1,64,179	25.96	5.11	3.72	1.39
गोण			12.01	9.06	2.95

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

(iii) शहरी घरेलू कनैक्शनों के 33 प्रतिशत को मीटरीकृत नहीं किया गया था (38,362 कनैक्शनों में से 12,667) और विशिष्ट दरों पर वास्तविक उपभोग के आधार के बजाय ₹ 100 प्रतिमाह की फ्लैट दर पर प्रभारित किये जा रहे थे।

(iv) यद्यपि मीटरीकृत वाणिज्यिक कनैक्शनों हेतु दरें नियमित रूप से संशोधित की गई थी, किंतु गैर-मीटरीकृत वाणिज्यिक कनैक्शन हेतु दरें संशोधित नहीं की गई थी। प्रमुख अभियन्ता ने केवल जनवरी 2016 में सरकार को 2006–07 से 2015–16 हेतु गैर-मीटरीकृत वाणिज्यिक कनैक्शनों के लिए जल प्रभारों की दरों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हेतु प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव सरकार के अनुमोदन (दिसम्बर 2016) के लिए अभी भी प्रतीक्षित है।

3.7.2.3 जल बिलों को प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश जलापूर्ति नियमग्रामीण जलापूर्ति स्कीम के उपभोग के लिए नियमित रूप से (जिसमें दो निरन्तर बिलों के बीच अन्तराल दो से छः मास होना चाहिए) जल बिलों को प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ कि शिमला मण्डल नम्बर I के अन्तर्गत कसुम्पटी तथा सैंज उप-मण्डलों के सहायक अभियन्ताओं ने 2013–16 के दौरान जल प्रभार बिलों को प्रस्तुत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप निम्नवत् तालिका-3.7.2 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 18.50 लाख की वसूली नहीं हुई।

तालिका-3.7.2: 2013-16 के दौरान प्रस्तुत न किए गए जल प्रभार बिलों का विवरण

(₹ लाख में)

उपमण्डल	अवधि	घरेलू कर्नैक्षणों से देय जल प्रभार			वाणिज्यिक कर्नैक्षणों से देय जल प्रभार		
		संख्या	दर प्रतिमाह (₹ में)	राशि	संख्या	दर प्रतिमाह (₹ में)	राशि
कुसम्पटी	मार्च 2014	1498	21.45	0.32	45	215	0.10
	2014-15	1575	23.60	4.46	55	236	1.56
	2015-16	1670	25.96	5.20	65	259	2.02
सैंज	जनवरी से मार्च 2015	1028	23.60	0.73	22	236	0.16
	2015-16	1049	25.96	3.27	22	259	0.68
योग				13.98			4.52

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

3.7.2.4 बल्क जलापूर्ति प्रभारों की अवसूली

शिमला-II मण्डल के अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम शिमला को बल्क जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं तथा पालमपुर व सोलन मण्डलों के अधिशासी अभियन्ता क्रमशः पालमपुर तथा सोलन नगरपालिकाओं को बल्क जलापूर्ति के लिए उत्तरदायी थे। बल्क जलापूर्ति की मात्रा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जल प्रभारों की पृथक दरों पर विभाग द्वारा संस्थापित मीटर रीडिंग पर आधारित है। अधिशासी अभियन्ता मासिक बिलों को प्रस्तुत करके बल्क जलापूर्ति हेतु जल प्रभारों के निर्धारण तथा संग्रहण के लिए भी उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा में अवलोकित हुआ कि विभाग ने निर्धारित अवधि के अन्दर उक्त नगरपालिकाओं से देय राशि को वसूल नहीं किया था। 2002-03 से आगे नगरपालिकाओं से बकाया ₹ 263.55 करोड़ के प्रति 2013-16 के दौरान ₹ 3.39 करोड़ (एक प्रतिशत) वसूल किए गए थे तथा बकाया जल प्रभार अप्रैल 2013 में ₹ 161.23 करोड़ से मार्च 2016 तक ₹ 260.16 करोड़ हो गये थे जैसाकि निम्नवत् तालिका-3.7.3 में विवरण दिया गया है।

तालिका-3.7.3: 2013-16 के दौरान बल्क जलापूर्ति के बकाया जल प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	प्रस्तुत बिल	कुल देय राशि	संग्रहित राशि	वसूली के लिए बकाया
2013-14	161.23	32.77	194.00	1.87	192.13
2014-15	192.13	34.34	226.47	1.02	225.45
2015-16	225.45	35.21	260.66	0.50	260.16
योग		102.32		3.39	

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

तथ्यों के बावजूद कि सम्बन्धित नगरपालिकाओं ने 2013-16 के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 49.83 करोड़³⁸ संग्रहित किए थे, उनके द्वारा विभाग को थोड़ी सी राशि ₹ 3.39 करोड़ प्रेषित की गई थी।

3.7.2.5 सेवा केन्द्रों के माध्यम से जल प्रभारों का संग्रहण

उपभोक्ताओं से जल प्रभारों के ऑनलाइन संग्रहण हेतु लोक मित्र केन्द्र के रूप में नामित 3,366 साधारण सेवा केन्द्र, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अनुसरण में सरकारी निजी साझेदारी रीति पर राज्य निर्दिष्ट अभिकरण³⁹ के माध्यम से राज्य में सेवा केन्द्र अभिकरण द्वारा स्थापित किए गए थे। त्रिपक्षीय अनुबन्ध सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग (प्रथम पक्ष) के प्रतिनिधि, दो सेवा केन्द्र अभिकरणों में से प्रत्येक (द्वितीय पक्ष) तथा फेसिलिटेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अधिदेशाधीन राज्य निर्दिष्ट अभिकरण (तृतीय पक्ष) की ओर से निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था (अगस्त 2011)। तथापि, यह लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से राशि को जमा करवाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक था।

अनुबन्धों के अनुसार प्रत्येक सेवा केन्द्र अभिकरण को अपने क्षेत्राधिकार उप-मण्डलों में लोक मित्र केन्द्र (सेवा केन्द्र अभिकरण-I: 1,296 तथा सेवा केन्द्र अभिकरण-II: 2,070) के माध्यम से केवल नगद में जल बिल भुगतानों का संग्रहण करना था तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को जारी

³⁸ 2013-14: ₹ 14.16 करोड़; 2014-15: ₹ 14.08 करोड़ और 2015-16: ₹ 21.59 करोड़।³⁹ सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सोसायटी तथा ई-गवर्नेंस (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के संरक्षण के अंतर्गत)।

किए जाने के लिए क्रमागत अनुक्रमांक वाली रसीद निकाली जानी थी। प्रत्येक सेवा केन्द्र अभिकरण को लोक मित्र केन्द्रों से देय राशि को समेकित करना था तथा इस उद्देश्य के लिए नामित (सितम्बर 2011) नोडल अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता, शिमला-II मण्डल) के नाम से खोला गया केन्द्रीयकृत/ निर्दिष्ट बैंक लेखा में इस राशि को अगले कार्य दिवस में ऑनलाइन स्थानांतरण करना था। विभाग को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से निकाली गई रिपोर्टों के अनुसार दैनिक आधार पर लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से जल बिलों की संग्रहित राशि का मेल-मिलाप करना था तथा सेवा केन्द्र अभिकरण को विभागीय अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर लेखे का मेल-मिलाप करते समय भाग लेना था। लेखापरीक्षा में निम्नवत् कमियां उजागर हुईः

(i) सेवा केन्द्र अभिकरण-I ने जल संग्रहण प्रभार जून 2014 तथा सेवा केन्द्र अभिकरण-II ने अक्टूबर 2014 से जमा नहीं करवाये थे जबकि इससे सम्बन्धित कोई भी कारण अभिलेखित नहीं थे। तथापि लोक मित्र केन्द्र, सेवा केन्द्र अभिकरणों की संलिप्तता के बिना जल प्रभारों का निरन्तर संग्रहण करते रहे तथा निर्दिष्ट बैंक लेखे में जमा करवाते रहे।

(ii) 2013-16 के दौरान सेवा केन्द्र अभिकरणों द्वारा लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से संग्रहित जल प्रभारों का अपेक्षित दैनिक/ त्रैमासिक मेल-मिलाप विभाग के सम्बन्धित उप-मण्डल/ नोडल मण्डल द्वारा नहीं किया गया था तथा आवश्यक रिपोर्ट वेब इन्टरफ़ेस के माध्यम से निकाली नहीं गई थी। सेवा केन्द्र अभिकरणों द्वारा संग्रहित जल प्रभारों के दैनिक मेल-मिलाप के अभाव में विभाग संग्रहण हेतु देय जल प्रभारों की राशि, सेवा केन्द्र अभिकरणों द्वारा वास्तविक रूप से संग्रहित जल प्रभारों तथा निर्दिष्ट बैंक के लेखे में जमा करवाई राशि से अनभिज्ञ था।

(iii) सेवा केन्द्र अभिकरणों के लेखे से नोडल मण्डल द्वारा निकाली गई रिपोर्टों के अनुसार 2013-15 के दौरान सेवा केन्द्र अभिकरणों द्वारा निर्दिष्ट बैंक लेखे में ₹ 0.40 करोड़ कम जमा करवाए गये थे (तालिका-3.7.4)। तथ्य के बावजूद, सेवा केन्द्र अभिकरणों ने परियोजना को छोड़ दिया था (जून 2014 तथा अक्टूबर 2014), विभाग ने सम्बन्धित सेवा केन्द्र अभिकरणों से राशि का मेल-मिलाप तथा वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

तालिका-3.7.4: 2013-16 के दौरान लोक मित्र केन्द्रों द्वारा संग्रहित तथा बैंक में जमा करवाये जल प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	बैंक विवरणों के अनुसार			सेवा केन्द्र अभिकरणों/ लोक मित्र केन्द्रों की रिपोर्टों के अनुसार			कमी (-)/ आधिक्य (+) निश्चय		
	सेवा केन्द्र अभिकरण-I	सेवा केन्द्र अभिकरण-II	लोक मित्र केन्द्र	सेवा केन्द्र अभिकरण-I	सेवा केन्द्र अभिकरण-II	लोक मित्र केन्द्र	सेवा केन्द्र अभिकरण-I	सेवा केन्द्र अभिकरण-II	लोक मित्र केन्द्र
2013-14	1.91	2.00	0	2.00	2.37	0	(-) 0.09	(-) 0.37	0
2014-15	0.51	0.21	2.88	0.45	0.21	2.60	(+) 0.06	0	(+) 0.28
2015-16	0	0	3.58	0	0	3.58	0	0	0
याग	2.42	2.21	6.46	2.45	2.58	6.18	(-) 0.03	(-) 0.37	(+) 0.28

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

इस प्रकार, सेवा केन्द्र अभिकरणों के माध्यम से जल प्रभारों के संग्रहण की प्रणाली को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया था तथा यह दुर्विनियोजन के जोखिम से ग्रस्त थी।

अधिशासी अभियन्ता, शिमला-II मण्डल ने बताया (अप्रैल 2016) कि मण्डलों से लोक मित्र केन्द्रों का अभिलेख प्राप्त न होने के कारण मेल-मिलाप नहीं किया गया था। अन्य नमूना-जांचित मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी से अप्रैल 2016) कि लोक मित्र केन्द्रों के साथ राशि का मेल-मिलाप हेतु कोई प्रक्रिया नहीं थी।

3.7.2.6 जल प्रभारों को जमा करवाने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश कोषालय नियमावली, 2007 दिन के दौरान संग्रहित जल प्रभार प्राप्तियां कोषालय में उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले दिन की सुबह जमा करवाने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2013-16 के दौरान शिमला-II को छोड़कर नमूना-जांचित मण्डलों के कर्मचारियों द्वारा संग्रहित ₹ 80.72 लाख के जल प्रभार कोषालय में दो से 52 दिनों के विलम्ब पश्चात् जमा करवाए गए थे जैसाकि नीचे तालिका-3.7.5 में दिया गया है जो दुर्विनियोजन यागलत उपयोग के जोखिम को बढ़ाती है।

तालिका-3.7.5: कोषालय में जल प्रभारों को जमा करवाने में विलम्ब का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	शहरी जलापूर्ति सेक्टर	ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर	दिनों में विलम्ब	
			शहरी जलापूर्ति सेक्टर	ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर
2013-14	5.30	32.90	2 से 20	4 से 52
2014-15	6.23	21.40	3 से 25	4 से 32
2015-16	2.18	12.71	3 से 19	2 से 45
गोग	13.71	67.01		

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

सम्बन्धित मण्डलों के अधिशासी अभियन्ताओं ने बताया (जनवरी से अप्रैल 2016) कि कोषालय में प्राप्तियों को जमा करवाने में विलम्ब फील्ड स्टाफ की कमी के कारण था।

3.7.3 निष्कर्ष

अतः, विभाग सभी उपभोक्ताओं, घरेलू और वाणिज्यिक दोनों से जल प्रभारों की वसूली नहीं कर पाया था जिसके परिणामस्वरूप राजस्व बकाया में महच्चपूर्ण वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रभावशाली रूप से राज्य सरकार की जून 2005 की अधिसूचना में परिकल्पित गैर-मीटरीकृत वाणिज्यिक कनैक्शनों के जल प्रभारों के संशोधित न किये जाने के कारण और उपभोक्ताओं द्वारा मीटरों के स्थापित न किये जाने के कारण बड़ी राजस्व हानि उठाई।

लेखापरीक्षा परिणाम सरकार को अगस्त 2016 में संदर्भित किए गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

3.8 नलकूपों की ड्रीलिंग के लिए रिग्ज के प्राप्तण पर अलाभकारी व्यय

अभिप्रेत क्षेत्रों में जहां उन्हें नियोजित किया जाना था स्थलाकृति एवं मृदा/चट्टान रूपरेखा के संदर्भ में रिग्ज की विशिष्टताओं के पर्याप्त तकनीकी निर्धारण में कमी के परिणामस्वरूप रिग्ज का उपार्जन किया गया जो उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने फर्म द्वारा वारंटी अवधि से सम्बन्धित आपूर्ति आदेश की शर्तों, कार्मिक के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित कर्मिकों की तैनाती की अनुपालना को लागू नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा फर्म से ₹ 19.82 लाख की सामग्री की लागत की वसूली नहीं हुई।

दो पुराने तथा अकार्यात्मक ड्रीलिंग रिग्ज⁴⁰ को बदलने के लिए राज्य सरकार ने नलकूपों की ड्रीलिंग हेतु उत्तरदायी गगरेट नलकूप मण्डल (जिला ऊना) के लिए स्पेयर टूलज, सहायक कलपूर्जों तथा एअर कम्प्रैशर सहित दो ड्रीलिंग रिग्ज को क्रय करने हेतु ₹ 2.82 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की थी (फरवरी 2007)।

मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि फर्म को मार्च 2007 में आपूर्ति आदेश दिये गये तथा मण्डल ने एअर कम्प्रैशर तथा सहायक कल-पूर्जों सहित दो हाईड्रोलीकली परिचालित डायरेक्ट रोटरी रिग्ज प्राप्त किया (अगस्त 2007)। अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति आदेश में यह शर्त भी सम्मिलित थी कि फर्म को विभागीय स्टाफ को 10 दिनों के लिए उनके कार्य हेतु प्रशिक्षित तथा रिग्ज की सफलतापूर्वक स्थापना की तिथि से दो वर्षों तक परिचालन हेतु प्रत्येक रिग्ज के साथ एक दक्ष, एक अर्ध-दक्ष तथा एक बेलदार तैनात करना होगा। उपस्कर इसकी सफलतापूर्वक स्थापना की तिथि से बिक्री सेवा के साथ दो साल के लिए वारंटी के अधीन रहेगा। फर्म को रिग्ज की आपूर्ति हेतु ₹ 3.09 करोड़ का भुगतान किया गया था।

रिग्ज ने परिचालन की तिथि (सितम्बर 2007) से ठीक ढंग से कार्य नहीं किया क्योंकि मार्च 2016 तक अपेक्षित 103 नलकूपों⁴¹ के प्रति केवल सात नलकूपों को ही निर्मित किया जा सका। हाईड्रोलिक पम्प सिस्टम की असफलता तथा टंगस्टेन कारबाईड इन्सर्टेड रॉक रोलर बीट्स की अनुपलब्धता के कारण एक रिग्ज

⁴⁰ 1972 के दौरान क्रय किया गया यूनीसेफ रीग नं० 1 तथा 1978 के दौरान क्रय किया गया रीग पी-1100

⁴¹ सितम्बर 2007 से मार्च 2016 के लिए औसतन 12 (6x2) नलकूप प्रति वर्ष।

अगस्त 2010 से बेकार सिद्ध हुआ जबकि दूसरा रिग्ज भी सेफटी वाल्व के कार्य न करने तथा अतिरिक्तपुर्जों एवं टंगस्टेन कारबाईड इन्स्टर्टेड रॉक रोलर बीट्स की अनुपलब्धता के कारण अगस्त 2012 से अपरिचालित रहा था। रिग्ज का कम निष्पादन तथा कार्य न करना निम्नलिखित कारणों के कारण था:

- प्राप्त रिग्ज जलोढ़ तथा अर्ध-समेकित संरचनाओं में ड्रीलिंग के लिए निर्मित थे जबकि बठेरा, कांटे तथा बर्नोह में आबांटित बोर स्थल डायरेक्ट रोटरी रिग्ज के लिए उपयुक्त नहीं थे जैसाकि जनवरी 2008 में फर्म द्वारा बताया गया था कि ड्रीलिंग की गई गहराई के अधिकतर भाग में टफ बोल्डर पाए गए थे। मण्डल द्वारा चिह्नित विशेष स्थानों का कोई संदर्भ/ अभिलेख नहीं था जिसके लिए रिग्ज का उपयोग किया जाना था। इससे इंगित हुआ कि ऐसी स्थलाकृति के लिए उपयुक्त रिग्ज हेतु न तो तकनीकी आवश्यकताओं का निर्धारण उचित रूप से किया गया था और न ही उपार्जन को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व ट्रायल्स संचालित किये गए थे।
- विभाग टंगस्टेन कारबाईड इन्स्टर्टेड रॉक रोलर बीट्स की उच्च लागत होने के कारण पर्याप्त सैटों का प्रबन्ध करने में विफल रहा था।
- रिग्ज इसके स्थापना समय से ही मड पम्प मशीनरी में बारम्बार दोष/खराबी से ग्रसित था। रिग्ज ने जुलाई 2010 तक बढ़ाई गई वारंटी अवधि के दौरान भी ठीक ढंग से कार्य नहीं किया।
- फर्म ने दक्ष परिचालनात्मक स्टाफ नियमित रूप से तैनात नहीं किया तथा इस उद्देश्य के लिए तैनात अदक्ष/ अप्रशिक्षित स्टाफ बारम्बार ड्रीलिंग स्थलों को छोड़ते रहे। फर्म ने विभागीय परिचालनात्मक स्टाफ को उनके कार्य पर 10 दिनों का प्रशिक्षण भी नहीं दिया था ताकि फर्म के परिचालनात्मक कर्मी दल की अनुपस्थिति में रिग्ज का उचित परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।
- फर्म ने वारंटी अवधि के अन्दर परिचालन के दौरान फर्म के परिचालनात्मक कर्मी दल की लापरवाही के कारण नष्ट हुई ₹ 19.82 लाख⁴² की सामग्री की लागत तथा मड पम्प मशीनरी में बारम्बार खराबी का प्रतिस्थापन/ भुगतान नहीं किया था।
- विभाग ने आपूर्ति आदेश (मार्च 2007) की शर्तों तथा समयबद्ध ढंग से रिग्ज की मरम्मत/ कार्य करने की अनुपालना नहीं करने हेतु फर्म के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की थी।

अतः अभिप्रेत क्षेत्रों में जहां उन्हें नियोजित किया जाना था स्थलाकृति एवं मृदा/ चट्टान रूपरेखा के संदर्भ में रिग्ज की विशिष्टताओं के पर्याप्त तकनीकी निर्धारण में कर्मी के परिणामस्वरूप रिग्ज का उपार्जन किया गया जो उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने फर्म द्वारा वारंटी अवधि से सम्बंधित आपूर्ति आदेश की शर्तों, कार्मिक के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित कर्मिकों की तैनाती की अनुपालना को लागू नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ तथा फर्म से ₹ 19.82 लाख की सामग्री की लागत की वसूली नहीं हुई।

मामला मई 2016 में सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

3.9 स्थलों के गलत चयन के कारण नलकूपों की ड्रीलिंग पर निष्फल व्यय

स्थलों के उचित चयन के बिना नपकूपों की ड्रीलिंग के परिणामस्वरूप ₹ 47.47 लाख का व्यय निष्फल रहा।

भारतीय मानक व्यूरो द्वारा जारी नलकूपों/ बोरवेल्ज के निर्माण तथा परीक्षण हेतु प्रैक्टिस संहिता, 1994 के अनुसार निष्पादन अभिकरण को ट्यूबवेल बोरिंग हेतु स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सूचना भेजना अपेक्षित है। जिला सिरमौर के पांच गांवों⁴³ के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तीन

⁴² बर्नोह नलकूप (फरवरी 2008 से दिसम्बर 2008) में विध्वंस बोर की लागत: ₹ 4.07 लाख, माजरा में विध्वंस नलकूप तथा बोरवेल में नष्ट सामग्री (मई 2008 से सितम्बर 2008): ₹ 11.51 लाख तथा माजरा बोर में रिग्ज की निकासी विध्वंस बोर की लागत (मई 2008 से सितम्बर 2008): ₹ 4.24 लाख।

⁴³ भटोग, हरीपुर टोहना-II, बनग्रान, फूलपुर तथा शिवपुर।

उठाऊ सिंचाई स्कीमों⁴⁴ के निर्माण हेतु ₹ 5.62 करोड़ का प्रशासकीय अनुमोदन किया था (मार्च 2008 तथा दिसम्बर 2009), जिसमें सात नलकूपों का निर्माण भी सम्मिलित था।

पांचटा साहिब मण्डल के अभिलेखों की संविक्षा से उद्घाटित हुआ कि अक्टूबर 2010 तथा जून 2011 के मध्य मण्डल ने उठाऊ सिंचाई स्कीम हरीपुर टोहना-II, उठाऊ सिंचाई स्कीम बनग्राण, शिवपुर, फूलपुर तथा उठाऊ सिंचाई स्कीम भट्रोग के अन्तर्गत ₹ 47.47 लाख की लागत से चार नलकूपों का निर्माण किया था। जबकि सिंचाई के लिए जल का अपेक्षित प्रवाह नलकूपों में उपलब्ध नहीं पाया गया था। उठाऊ सिंचाई स्कीम हरीपुर टोहना-II के लिए नलकूप का निर्माण तल जल संगठन, ऊना द्वारा नवम्बर 2004 में किए गए व्यवहार्यता सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था तथा क्षेत्र में घट रहे तल जल स्तर को ध्यान में रखते हुए कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तल जल संगठन, ऊना द्वारा उठाऊ सिंचाई स्कीम भट्रोग हेतु नलकूप के सम्बन्ध में व्यवहार्यता सर्वेक्षण जून 2010 में किया गया था लेकिन उसमें कोई जल नहीं पाया गया। उठाऊ सिंचाई स्कीम बनग्राण, शिवपुर, फूलपुर के लिए निर्मित नलकूपों के मामले में सर्वेक्षण से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं था। स्पष्टतया, नलकूपों के स्थलों में अपेक्षित जल स्तर उचित व्यवहार्यता अध्ययन द्वारा सुनिश्चित किए बिना नलकूपों का निर्माण किया गया था जिससे ₹ 47.47 लाख का निष्फल व्यय हुआ था।

अधिशासी अधियन्ता ने बताया (अगस्त 2016) कि नलकूपों से जल प्रवाह सिंचाई के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं था जो केवल सर्वेक्षण की कमी की संपुष्टि करता है।

मामला सरकार को मई 2016 में प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

योजना विभाग

3.10 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों की अनुचित संस्थीकृति एवं अवमुक्ति

स्कीम के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का गैर-अनुपालन व सोसायटी को वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता की सीमा के सत्यापित करने में किसी भी तंत्र के अभाव होने के परिणामस्वरूप एक सोसायटी को ₹ 1.97 करोड़ की अधिक वित्तीय सहायता पहुंचाई गई। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या द्वारा आवासित क्षेत्रों के लिए रखी गई ₹ 2.50 करोड़ की निधियां अन्य क्षेत्रों को अवमुक्त की गई थीं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशेष सोसायटी/ न्यास के पूरे जीवनकाल में इस स्कीम की निधियों से ₹ 50 लाख से अधिक व्यय नहीं किये जा सकते हैं। यदि किसी सोसायटी ने पूर्वोक्त सीमा तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों का उपयोग कर लिया है तो इस योजना के अंतर्गत उस सोसायटी/ न्यास को कोई भी निधि संस्तुत नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सांसदों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या द्वारा आवासित क्षेत्रों के लिए आबंटित निधियों के कम से कम क्रमशः 15 और 7.5 प्रतिशत की भी सिफारिश करनी होती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संशोधितदिशा-निर्देशों (मई 2014) के अनुसार यदि किसी चुनाव क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संख्या अपर्याप्त है तो निर्धारित प्रावधान में भारत सरकार की पूर्व अनुमति से छूट दी जा सकती है।

(क) पांच उपायुक्तों⁴⁵ के अभिलेखों की संविक्षा से प्रदर्शित हुआ कि उपायुक्तों ने एक सोसायटी को 2008-15 के दौरान उसके द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों के 68 भवन निर्माण के निष्पादन हेतु ₹ 2.47 करोड़⁴⁶ अवमुक्त किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.97 करोड़ अधिक अवमुक्त हुए। लेखापरीक्षा में

⁴⁴ उठाऊ सिंचाई स्कीम हरीपुर टोहना-II (मार्च 2008: ₹ 2.97 करोड़), उठाऊ सिंचाई स्कीम बनग्राण, शिवपुर, फूलपुर (दिसम्बर 2008: ₹ 2.27 करोड़) तथा उठाऊ सिंचाई स्कीम भट्रोग (दिसम्बर 2009: ₹ 0.38 करोड़)।

⁴⁵ बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी व सोलन।

⁴⁶ उपायुक्त बिलासपुर: ₹ 78.50 लाख; उपायुक्त हमीरपुर: ₹ 94 लाख; उपायुक्त कुल्लू: ₹ 41 लाख; उपायुक्त सोलन: ₹ 25 लाख तथा उपायुक्त मण्डी: ₹ आठ लाख।

पाया गया कि यह अधिक अवमुक्ति विभिन्न जिलों द्वारा सोसायटियों को अवमुक्त निधियों को अभिलिखित और सत्यापित करने के लिए किसी तंत्र की कमी के कारण हुई थी।

(ख) उपायुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 2.50 करोड़ की निधियां जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवासित क्षेत्रों के लिए चिह्नित की जानी थी को दिशानिर्देशों के विचलन में अन्य क्षेत्रों पर व्यय की गई थी जैसाकि निम्नवत् तालिका-3.10.1 में वर्णित है:

तालिका-3.10.1: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन एवं अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सांसद निधियों का आबंटन	कुल अवमुक्त निधियां		से आवासित क्षेत्रों को अवमुक्त अपेक्षित निधियां		से आवासित क्षेत्रों को वास्तविक अवमुक्त निधियां		निधियों की अल्प-अवमुक्ति (प्रतिशत)	
		राशि	कार्यों की संख्या	अनुसूचित जातियां (15% की दर पर)	अनुसूचित जनजातियों (7.5% की दर पर)	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
2012-13	5.00	4.88	203	0.75	0.38	0.07 (4 कार्य)	0.05 (1 कार्य)	0.68 (91)	0.33 (87)
2013-14	5.00	4.97	225	0.75	0.38	0.14 (9 कार्य)	0.23 (9 कार्य)	0.61 (81)	0.15 (39)
2014-15	5.00	5.14	181	0.75	0.38	0.29 (14 कार्य)	0.11 (8 कार्य)	0.46 (61)	0.27 (71)
कुल	15.00	14.99	609	2.25	1.14	0.50 (27 कार्य)	0.39 (18 कार्य)	1.75 (78)	0.75 (63)

योजना के मानदण्डानुसार राज्यसभा सांसद के सम्बन्ध में 2012-15 के दौरान ₹ 15 करोड़ के कुल आबंटन में से अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से आवासित क्षेत्रों को ₹ 3.39 करोड़ अवमुक्त किये जाने अपेक्षित थे। तथापि उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 14.99 करोड़ की कुल निधियों में से उपायुक्त बिलासपुर (नोडल जिला) ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से आवासित क्षेत्रों के लिए केवल ₹ 0.89 करोड़ ही अवमुक्त किया था और अनुसूचित जातियों (₹ 1.75 करोड़) तथा अनुसूचित जनजातियों (₹ 0.75 करोड़) से आवासित क्षेत्रों के लिए रखे गए ₹ 2.50 करोड़ अन्य क्षेत्रों के लिए अवमुक्त किये गए थे। 2012-15 के दौरान अनुसूचित जातियों से आवासित क्षेत्रों में अवमुक्त की गई निधियों में कमी 61 और 91 प्रतिशत के मध्य थी और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 39 तथा 87 प्रतिशत के मध्य थी।

जिला आयोजना अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2016) कि निर्माण कार्य सम्बन्धित सांसदों की सिफारिशों पर संस्वीकृत किये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों के उपर्युक्त प्रावधानों को उपायुक्तों द्वारा सम्बन्धित सांसदों के ध्यान में लाया जाना चाहिए था ताकि निधियों को निर्धारित सीमा और प्रतिशतता के अनुसार एक सोसायटी तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की आबादी वाले क्षेत्रों को अवमुक्त किया जाता।

अतः स्कीम के दिशानिर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना न किये जाने तथा सोसायटी को वित्तीय सहायता की स्वीकार्यता सत्यापित करने के लिए किसी तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप एक सोसायटी को ₹ 1.97 करोड़ अधिक अवमुक्त किये गए। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के जनसंख्या वाले क्षेत्रों के निहितार्थ रखी गई ₹ 2.50 करोड़ की निधियां अन्य क्षेत्रों को अवमुक्त की गई थीं।

लेखापरीक्षा परिणाम मई 2016 में सरकार को प्रेषित कर दिये गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

लोक निर्माण विभाग

3.11 अनियमित निकासी तथा निधियों का अवरोधन

"लोक निर्माण जमा" के अंतर्गत आवश्यकता की प्रत्याशा में निधियों का आहरण करने तथा लम्बी अवधि तक रोके रखने के परिणामस्वरूप निधियां बजटीय नियंत्रण से बाहर रहीं तथा ₹ 89.97 लाख दो से 10 वर्षों तक अवरुद्ध रहे।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2007 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अनुसार कोषागार से धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक इसके तुरन्त वितरण की आवश्यकता न हो। इसके अतिरिक्त, अधिशासी अभियन्ता, जिसके पक्ष में साख-पत्र जारी किया जाता है को धन के आहरण तथा उसको किसी भी तरीके से रोके-रखने की अनुमति नहीं है।

सोलन मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अधीक्षण अभियंता, सोलन से प्राप्त शाखपत्र के आधार पर अधिशासी अभियंता ने अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए लघु सड़क निर्माण कार्यों हेतु कोषालय से ₹ 96.08 लाख आहरित किये (मार्च 2006 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य) तथा राज्य निधियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जटोली-डमरोग-सैरी सड़क के रख-रखाव के लिए सामग्री की बुकिंग की और इसे "लोक निर्माण कार्य जमा" के अंतर्गत रखा। इसमें से केवल ₹ 6.11 लाख निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोग में लाए गए थे और शेष ₹ 89.97 लाख की राशि दो से 10 वर्षों तक अव्ययित पड़ी थी। अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य, निविदाओं के अंतिम रूप न दिये जाने तथा संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न किये जाने के कारण निष्पादनार्थ प्रारम्भ नहीं किये गए थे। जटोली-डमरोग-सैरी सड़क के रख-रखाव के लिए निधियां 'जमा' के अंतर्गत रखी गई थीं क्योंकि कार्य नियमित बजट से निष्पादित किया गया था और लघु निर्माण कार्यों के लिए निधियों का आहरण मात्र बजट को व्यपगतता से बचाने के लिए किया गया था।

अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया (मई 2016) कि निधियों को कोषालय से बजट को व्यपगतता से बचाने के लिए आहरित किया गया था और "लोक निर्माण जमा" के अंतर्गत श्रेणीबद्ध तरीके से प्रयोग में लाने के लिए रखा गया था।

मामला जून 2016 में सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

राजस्व विभाग

3.12 राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बेकार पड़े सर्वेक्षण उपकरणों पर अनुत्पादक व्यय

संविदाकार द्वारा संविदा के नैतिक मूल्यों का देय निष्पादन लागू करने में और संविदा शास्त्रियां लगाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप बेकार उपकरणों पर ₹ 1.91 करोड़ का अनुत्पादक व्यय हुआ तथा ₹ 1.68 करोड़ अवरुद्ध रहे।

राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, भूमि/ सम्पत्ति विवादों की संभावना को कम करने के लिए भू-अभिलेखों के प्रबन्धन के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, नक्शों का अंकीकरण (डिजिटाइजेशन) तथा शाब्दिक एवं स्थानिक डाटा का समाकलन, सभी सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण एवं सभी सर्वेक्षण व बन्दोबस्त अभिलेखों तथा निर्माण क्षमता का अद्यतनीकरण करना है। कार्यक्रम पर व्यय का अंशदान केन्द्र व राज्य के बीच विभिन्न घटकों हेतु विभिन्न अनुपात में होना था तथा निधियां जारी होने के दो वर्षों के भीतर पूर्ण किया जाना था।

भारत सरकार ने तीन जिलों (हमीरपुर मण्डी तथा सिरमौर) में एनोएलओआरएमओपीओ के कार्यान्वयन हेतु ₹ 9.58 करोड़⁴⁷ संस्थीकृत किए (मार्च 2009) तथा मार्च 2009 तथा मई 2009 के मध्य पहली किश्त के रूप में ₹ 7.18 करोड़ जारी किए। इसमें से निदेशक, भू-अभिलेख ने कांगड़ा मण्डल के बंदोबस्त अधिकारी को सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त अभिलेखों के अद्यतनीकरण करने हेतु ₹ 3.59 करोड़⁴⁸ अवमुक्त किये (जून 2010)।

बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा, मण्डल के अभिलेखों की जांच दर्शाती है कि विभाग ने सर्वेक्षण उपकरणों के उपार्जन तथा प्रतिष्ठापन, 100 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा 30 गांवों से सम्बन्धित अधिकारों के अभिलेखों (आरओओआरो) का सर्वेक्षण करने व इसे तैयार करने हेतु एक फर्म के साथ ₹ 2.20 करोड़⁴⁹ का करारनामा किया (5 अगस्त 2011)। 16 अगस्त 2011 को आपूरित किए गए उपकरणों की लागत के सम्बन्ध में फर्म को ₹ 1.91 करोड़ की राशि का भुगतान (नवम्बर-दिसम्बर 2011) किया गया। सर्वेक्षण तथा निर्माण क्षमता का कार्य, करारनामा हस्ताक्षरित होने (अगस्त 2011) के 28 सप्ताह के भीतर पूर्ण करना था। तथापि, फर्म ने जुलाई 2013 में सर्वेक्षण कार्य बिना कारण बताए बन्द कर दिया तथा कर्मचारियों को न तो प्रशिक्षण दिया और न ही आरओओआरो तैयार किया। विभाग ने कार्य पूर्ण करने के लिए फर्म को 5 फरवरी 2016 तक समय सीमा बढ़ा दी (फरवरी 2015)। तथापि, फर्म ने कार्य को पुनः आरम्भ नहीं किया। इसके पश्चात् विभाग ने फर्म को करार तोड़ने के लिए एक अधिसूचना जारी की (अगस्त 2015)। तथापि, इसके पश्चात् न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही फर्म ने कार्य को पुनः आरम्भ किया।

विभाग ने बताया (फरवरी 2016) कि करार का अतिक्रमण किये जाने पर फर्म को नोटिस भेजा जा चुका था (अगस्त 2015)। विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि संविदाकार ने शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया है।

अतः विभाग की संविदा का देय निष्पादन सुनिश्चित करने में विफलता और सर्वेक्षण कार्यों को करने में तथा संविदा शास्त्रियां लगाने के पश्चात् संविदा छोड़ने हेतु प्रभावशाली कार्रवाई करने में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ लागत के सर्वेक्षण उपकरण बेकार रहे और ₹ 1.68 करोड़ की निधियों जिन्हें परियोजना के लिए अवमुक्त किया गया था, का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा परिणाम अप्रैल 2016 में सरकार को प्रेषित कर दिये गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2016)।

लोक निर्माण, उद्योग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग

3.13 बाधारहित स्थलों की पहचान/ उपलब्धता नहीं होने के कारण निर्माण कार्यों का निष्पादन न होना/ पूर्ण न होना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण नियमपुस्तिका में की गई परिकल्पना के विपरीत सम्भाव्यता और बाधारहित भूमि सुनिश्चित किये बिना कार्यकारी अभिकरणों को निधियों के आहरण एवं अवमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ का निर्थक व्यय हुआ और कार्यकारी अभिकरणों के पास एक से नौ वर्षों से अधिक के लिए ₹ 12.14 करोड़ का अवरोधन हुआ।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2007 का नियम 5.71 (ग) अनुबद्ध करता है कि किसी भी तरह के धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसका तुरंत संवितरण अपेक्षित नहीं है और ऐसे अग्रिमों को निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कोषागार से आहरित नहीं किया जा सकता जिनके पूर्ण होने में अधिक समय लगने की सम्भावना है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य नियमपुस्तिका का अनुसरण किया जाता है जिसमें प्रावधान है कि निर्माण कार्य, डिजाईन, विशिष्टताओं और बाधा रहित स्थलों की सुनिश्चितता का उपयुक्त निर्धारण किये जाने के पश्चात ही अधिनिर्णित और कार्य

⁴⁷ हमीरपुर: ₹ 2.40 करोड़; मण्डी: ₹ 5.27 करोड़ तथा सिरमौर: ₹ 1.91 करोड़।

⁴⁸ हमीरपुर: ₹ 1.09 करोड़ तथा मण्डी: ₹ 2.50 करोड़।

⁴⁹ सर्वेक्षण उपकरण: ₹ 1.91 करोड़; अधिकार के अभिलेखों का सर्वे एवं तैयारी: ₹ 0.28 करोड़; प्रत्येक अंकीकृत कैडस्टरल मैप का मुद्रण: ₹ 0.01 करोड़।

प्रारम्भ किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण, आयोजना और निधियों के साथ-साथ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में यथोचित परिश्रम, परियोजनाओं के कुशल निष्पादन एवं लागत और समय अधिक्य से बचने की पहली शर्त/ आधार है। प्रयोक्ता विभागों के साथ-साथ कार्यकारी अभिकरण भी निर्माण कार्यों/ स्कीमों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी है।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 52.41 करोड़ के लिए संस्कीर्त छः निर्माण कार्यों में विभाग ने अप्रैल 2007 से जुलाई 2015 के मध्य विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यकारी अभिकरणों को ₹ 13.71 करोड़ अवमुक्त किये थे। तथापि, सभी निर्माण कार्य बाधारहित स्थलों की उपलब्धता/ पहचान न किये जाने और निम्न वर्णित संहिता औपचारिकताओं के पूर्ण न किये जाने के कारण रोक कर रखे गए थे:

(₹ करोड़ में)

निर्माण कार्य	संस्कीर्त लागत	राशि/आहरण की अवधि	अप्रयुक्त राशि	कार्य की प्राप्तिश्वासनी
लोक निर्माण और उद्योग विभाग				
1. बद्दी स्थित आवासकारी एवं कराधान बैरियर का सुधार	1.37	1.37 (अप्रैल 2007)	0.89	यद्यपि, वन्य भूमि (नवम्बर 2006) और निजी भूमि (मार्च 2007) के चालू मामलों के कारण बाधा रहित स्थल उपलब्ध नहीं था, फिर भी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य को ₹ 1.14 करोड़ में एक संविदाकार को अधिनिर्णीत (मई 2007) किया गया। तथापि, जनवरी 2009 तक ₹ 0.48 करोड़ मूल्य के निर्माण कार्य के निष्पादन के पश्चात् स्थल के भूमि विवाद के कारण कार्य रोकना पड़ा था। मामला सितम्बर 2016 तक नहीं निपटाया गया था और कार्य सात वर्षों से अधिक समय तक परित्यक्त पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.48 करोड़ का निर्थक व्यय और ₹ 0.89 करोड़ का अवरोधन हुआ।
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग				
2. हीरानगर (जिला शिमला) स्थित मानसिक रूप से अक्षम बच्चों हेतु आवास का निर्माण	5.24	4.98 (दिसंबर 2007 से जून 2015)	4.98	यद्यपि, निधियां आहरित एवं हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की गई थी, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अवस्थिति को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण मार्च 2016 तक कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि राज्य सरकार ने आवास को प्रस्तावित स्थल हीरानगर (शिमला) से सुन्दरनगर (मण्डी) में स्थानांतरित करने का निश्चय (मार्च 2016) किया। तदनुसार विभाग निर्माण कार्य से पीछे हट गया (जुलाई 2016) और अक्टूबर 2016 तक निधियां हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी रही थीं।
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग				
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिमला स्थित उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भवन का निर्माण	1.60	1.16 (मार्च 2009 से मार्च 2012)	0.76	निष्पादन हेतु निर्माण कार्य का प्रारम्भ (फरवरी 2010) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा "वायस रीगल लॉज (राष्ट्रपति निवास शिमला)" के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अधिसूचित (नवम्बर 1997) राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित स्थल (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के स्वामित्व वाला) पर प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लिए बिना किया गया था। एक कारण बताओ नोटिस अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा भेजा गया और निर्माण कार्य सितम्बर 2011 में विभाग द्वारा ₹ 0.40 करोड़ व्यय करने के पश्चात् रोक दिया गया था।
युवा सेवाएं एवं खेल विभाग				
4. कटासनी (जिला शिमला) स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	43.00	5.00 (जुलाई 2007)	4.64	विभाग ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (₹ 4.64 करोड़) को निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए तथा बन विभाग (₹ 0.36 करोड़) को वन्य भूमि के अपवर्तन के बदले स्टेडियम के निर्माण हेतु निधियां हस्तांतरित (अगस्त 2007) की थीं। स्टेडियम के निर्माण हेतु विभाग को भूमि आठ वर्षों से अधिक समय के पश्चात् हस्तांतरित (अगस्त 2015) की गई थी। निर्माण कार्य जून 2016 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि अरेख अभी भी तैयार किये जा रहे थे।
5. राजगढ़ (जिला सिरमौर) स्थित आऊट-डोर मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	0.50	0.50 (मार्च 2011)	0.44	विभाग द्वारा आहरित ₹ 50 लाख में से मात्र ₹ 5.84 लाख जून 2016 तक चयनित स्थल पर लेवलिंग, बाड़ लगाने और नालियों के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयोग में लाए गए थे। निर्माण कार्य जून 2016 तक बाड़ा मल्टी-स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण के लिए चयनित स्थल के अपर्याप्त परिमापों के कारण निष्पादन हेतु नहीं लिया गया था।
6. जयसिंहपूर (जिला कांगड़ा) में यूटिलिटी स्टेडियम/ मैदान का निर्माण/ भव्यता और स्टेडियम के इंदू-गिर्द दुकानों का निर्माण	0.70	0.70 (फरवरी 2011 और जुलाई 2012)	0.43	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास जमा (फरवरी 2011 तथा जुलाई 2012) ₹ 70 लाख में से मात्र ₹ 26.95 लाख दुकानों के निर्माण हेतु प्रयुक्त किये गए थे और स्टेडियम का निर्माण कार्य जून 2016 तक स्थानीय लोगों के विरोध किये जाने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया था। सरकार ने बताया (जून 2016) कि संशोधित (जनवरी 2016) प्रस्ताव के अनुसार संशोधित अरेख तैयार किये जा रहे हैं।
योग	52.41	13.71	12.14	

अतः निधियों का आहरण और इसे कार्यकारी अभिकरणों को हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली और केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य नियमपुस्तिका में परिकल्पित सम्भाव्यता एवं बाधा रहित भूमि सुनिश्चित किये बिना अवमुक्त किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.57 करोड़ का निर्थक व्यय हुआ और कार्यकारी अभिकरणों के पास एक से नौ वर्षों से अधिक के लिए ₹ 12.14 करोड़ का अवरोधन हुआ।

लेखापरीक्षा परिणाम मार्च-नवम्बर 2016 में सरकार को प्रेषित किये गए थे। उत्तर केवल एक विभाग (युवा सेवाएं एवं खेल विभाग) से प्राप्त हुआ था (दिसम्बर 2016)।

राम मोहन जौहरी
(राम मोहन जौहरी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 23 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 01 मार्च 2017

